र्व शिक्षा अभियान

जिला–नागौर

वर्ष- 2002–2010

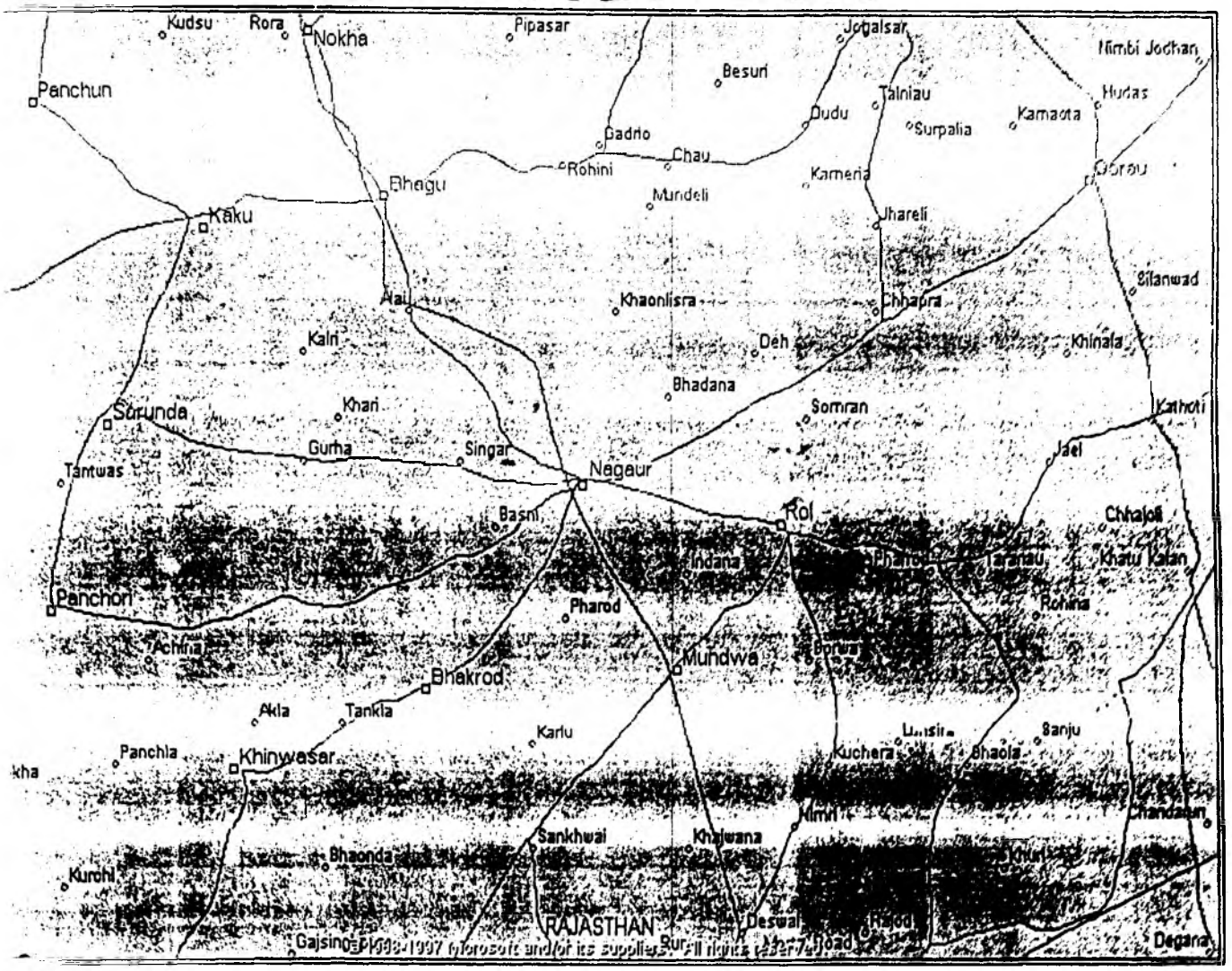

जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद्–डी.पी.ई.पी नागौर

पिती धर्मशला के पास, रेलवे स्टेशन

दूरभाष/फैक्स नo 01582-44415

[illegible] ON CENTRE
[illegible] of Educational
Planning and Administration.
17-B, [illegible] Marg,
New Delhi-110016
DOC, No ....
Date ....

सर्व शिक्षा अभियान

नागौर जिला – एक विहंगम दृष्टि

1	जिला का कुल क्षैत्रफल	17,718 वर्ग किलो मीटर
2	जिले की कुल जनसंख्या –1991	2144810
3	जिले की कुल जनसंख्या–2001	2773894
4	जिले में कुल पुरूषों की जनसंख्या–1991	1104576
5	जिले मे कुल पुरूषों की जनसंख्या–2001	1421455
6	जिले में कुल महिलाओं की जनसंख्या–1991	1040234
7	जिले में कुल महिलाओं की जनसंख्या–2001	1352439
8	जिले में अनुसुचित जाति की कुल जनसंख्या–2001	557289
9	जिले में अनुसुचित जनजाति की कुल जनसंख्या–2001	6409
10	जिले मे जनसंख्या का धनत्व–1991	121 प्रति वर्ग किमी.
11	जिले मे जनसंख्या का धनत्व–2001	157 प्रति वर्ग किमी.
12	जिले मे जनसंख्या वृद्धि–दर–1991	31.69%
13	जिले में जनसंख्या वृद्धि–दर–2001	29.33%
14	जिले में 6–14 आयुवर्ग के बालको की जनसंख्या–2001	519108
15	जिले की कुल साक्षरता दर–1991	31.80%
16	जिले की कुल साक्षरता दर–2001	58.26%
17	जिले की पुरूष साक्षरता दर–1991	49.35%
18	जिले की पुरूष साक्षरता दर–2001	58.26%
19	जिले की महिला साक्षरता दर–1991	13.29%
20	जिले की महिला साक्षरता दर–2001	40.45%
21	जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुख्यालय	2
22	जिलें मे कुल उपखण्ड कार्यालय	9
23	जिले की कुल तहसीलें	10
24	जिलें में पंचायत समितियां	11
25	जिलें में कुल ग्राम पंचायते	461
26	जिले में कुल राजस्व गांव	1470
27	जिले मे कुल नगरपालिका क्षैत्र	10
28	जिले में उच्च प्राथमिक स्तर तक के कुल विद्यालय	564
29	जिले में प्रारंभिक शिक्षा के कुल विद्यालय	1327
30	जिले में कुल विधान सभा निर्वाचन क्षैत्र	10

अध्याय–1

जिला–परिदृश्य

1.1 परिचय :–

राज्य का हदय स्थल नागौर जिला पुरातन में नागवंशियों की राजधानी रहा था । कालांतर में यह जोधपुर रियासत में शामिल हुआ तथा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात यह जिला अपने स्वतन्त्र अस्तित्व में आया । नागौर जिले ने धार्मिक,राजनैतिक एवं वीरता के क्षेत्र में अनेक प्रतिभाओं को जन्म दिया है । सम्राट अकबर के नवरत्नों मे से दो रत्न अबुल फजल एवं फैयाजी नागौर से ही थे । भगवान कृष्ण को समर्पित भक्त शिरोमणी कवियत्री मीरां बाई की कर्मस्थली नागौर जिले में ही रही है । इनकें अलावा विभिन्न समुदायों के मसीहा यथा–जाट समाज के वीर तेजाजी, विश्नोई समाज के संस्थापक गुरू जम्भोजी एवं सूफी सन्त तारकीन बाबा की कर्मस्थली भी नागौर जिले में ही रही है । नागौर जिले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 2 अक्टूबर 1959 को इसी जिले से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज का शुभारम्भ किया था ।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :–

नागौर जिला (नागौर शहर) पुरातन में अनंतगोचर साम्राज्य का मुख्य शहर रहा था , जो कि हर्षवर्धन एवं शाकंबरी शासन का अंग था । उस समय यह शहर नागपुरा नाम से विख्यात था । कालांतर में वीर अमरसिंह राठौड़ ने अपने साम्राज्य के विस्तार के दौरान इस शहर को अपना मुख्यालय स्थापित कर इसका नवीनीकरण किया तथा इसे नागौर नाम दिया । इसके पश्चात नागौर जिला जोधपुर रियासत के अधीन चला गया था । भारत की आजादी के बाद रियासतों की विलीनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात यह जिला अपने स्वतन्त्र अस्तित्व में आया ।

1.3 भौगोलिक स्थिति :–

नागौर जिला राजस्थान के बीचों बीच स्थित है । यह जिला उत्तरी अक्षांश पर 26^0 25'' और 27^0 40'' तथा पूर्वी देशांश पर 73^0 13'' और $75^0$15'' पर स्थित है ।

राज्य के सात जिलों की सीमाएँ इस जिले की सीमा से विभिन्न दिशाओं में टकराती है । जिले के उत्तर में बीकानेर व चूरू , पूर्व में सीकर व जयपुर , दक्षिण में अजमेर व पाली तथा जिले के पश्चिम में जोधपुर जिला है । नागौर जिला मुख्यालय देश के अनेक प्रमुख नगरों से रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है । यहॉ से हावड़ा , मुम्बई , जम्मू तवी , चंडीगढ़ तथा गौहाटी के लिए सीधी रेल सेवा उपलब्ध है । राजस्थान की राजधानी जयपुर से नागौर शहर 300 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है ।

नागौर जिले का कुल क्षेत्रफल 17,7718 वर्ग किमी. है इस जिले के दक्षिण पश्चिम में समतल मैदान , दक्षिण–पूर्व में ऊँची पहाडियॉ तथा पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में दूर दूर तकं ऊँचे–ऊँचे रेत के टीले (रेगिस्तान) है । जिले की औसत वर्षा 150 मिली–मीटर ही है , इस कारण यह जिला अधिकतर अकाल /सूखे की चपेट में रहता है ।

1.4 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य :–

राज्य के अन्य भागों के समान ही नागौर जिले की सामाजिक व्यवस्था ग्रामीण वातावरण से प्रभावित है । अभी भी अधिकतर परिवार संयुक्त परिवारों के रूप में निवास करते है । जिले में लगने वाले मेले भी धार्मिक त्योंहारों के अवसरों पर ही लगते है, जेसे नवरात्रि पर कैवाय माता का मेला किनसरिया, दधिमथी माता का मेला गोठ मांगलोद, शीतलाष्टमी मेला भकरी इत्यादि । इनके अलावा विभिन्न स्थानों पर पर्व के साथ एवं व्यक्ति के साथ सम्बंधित मेले भी जिले में आयोजित होते है, यथा– मीरां मेला मेड़ता, तेजाजी का मेला खरनाल, रामदेव मेला परबतसर, गणगौर मेला आदि । पशुपालन विभाग द्वारा तथा पंचायत समितियों द्वारा भी पशुधन के कय–विकय हेतु विभिन्न स्थानों पर मेले आयोजित किये जाते है । इनमें पशुमेला नागौर, पशुमेला परबतसर, पशुमेला डीडवाना एवं मेड़ता मुख्य है ।

नागौर जिले के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। जिले की खरीफ की मुख्य फसल बाजरा , गंवार, तिलहन, मूंग–मोठ , इत्यादि एवं रबी की मुख्य फसल गेहूँ , सरसो , चना , जीरा , इत्यादि है । इसके अलावा मकराना का मार्बल व्यवसाय, गोटन का चूना–सीमेन्ट, मूण्डवा का चूना उद्योग, खाटू का इमारती पत्थर तथा नावां एवं डीडवाना का नमक उद्योग प्रसिद्ध है । इनमें जिले के अधिकतर निवासी अपने रोजगार में व्यस्त है ।

1.5 जिले का व्यवसायिक स्वरूप :–

नागौर जिले के निवासियों का व्यवसाय वार वर्गीकरण नीचे दी गई सारणी संख्या 1.1 में प्रस्तुत है :–

सारणी 1.1

क.सं.	व्यवसाय	व्यवसायरत कुल कामगार (प्रतिशत में)
1	कृषक	**22.88 %**
2	कृषि श्रमिक	**2.71%**
3	पशुपालन , मत्स्य पालन , वन , शिकार , इत्यादि	**00.55%**
4	खनिज श्रमिक	**00.51%**
5	फैक्ट्री , कारखानों में नियोजित श्रमिक , सिलाई इत्यादि	**01.25%**
6	निर्माण कार्यो पर नियोजित श्रमिक	**00.47%**
7	व्यापार	**01.71%**
8	यातायात एवं संचार	**00.57%**
9	सीमान्त कामगार	**6.30%**
10	अन्य	**02.25%**
11	बेरोजगार	**60.26%**

(स्त्रोत्र जनगणना 2001)

1.6 जिले का प्रशासनिक ढॉचा :–

प्रशासनिक दृष्टि से नागौर जिला 9 उपखण्ड कार्यालयों , 10 तहसीलों तथा 11 पंचायत समितियों में बंटा हुआ है । जिला स्तर पर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर , उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड अधिकारी एवं तहसील स्तर पर तहसीलदार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है । इसके अलावा जिले में 461 ग्राम पंचायते , 1470 राजस्व गॉव तथा 10 नगरपालिका क्षेत्र है । जिले का मोटे तौर पर प्रशासनिक विभाजन सारणी संख्या 1.2 में प्रस्तुत है :–

सारणी 1.2

जिले का प्रशासनिक विभाजन

जिला	अति.जिला कलेक्टर मुख्यालय	उपखण्ड मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	उपतहसील मुख्यालय	पंचायत समिति मुख्यालय	नगरपालिका क्षेत्र
नागौर	नागौर	नागौर ,जायल	नागौर , जायल, खीवसंर	मूण्डवा	नागौर , मूण्डवा , जायल	नागौर, मूण्डवा कुचेरा
		मेड़ता ,डेगाना	मेड़ता , डेगाना	सांजू , भैंरूदा, रियां	मेड.ता, रियां , डेगाना	मेड.ता सिटी
	डीडवाना	डीडवाना,लाडनू	डीडवाना ,लाडनू	मौलासर	डीडवाना , लाडनू	डीडवाना , लाडनू
		परबतसर , मकराना, नावॉ	परबतसर , मकराना , नावॉ	पीलवा , कुचामन	परबतसर , मकराना कुचामन	परबतसर मकराना, कुचामन नावां

(स्त्रोत्र–जिला कलेक्टर कर्यालय नागौर)

1.7 जिले का जनसंख्यात्मक स्वरूप :–

नागौर जिले की जनसंख्या करीब–करीब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है । और यह जनसंख्या जिले की कुल जनसंख्या का 81% है । जनगणना 2001 के अनुसार जिले में जनसंख्या वृद्धि–दर 29.33 % है । यह वृद्धि–दर 1991 की जनगणना के समय 31.69% थी । इस प्रकार पिछले दशक के दौरान जनसंख्या की वृद्धि–दर में 2.36% की कमी दर्ज की गई है । इसका मुख्य कारण जिले में शिक्षा का व्यापक प्रसार एवं विकास रहा है । जिले का स्त्री–पुरूष (लिंग–अनुपात) 951 : 1000 है । जनसंख्या का धनत्व जिले में 157 प्रति वर्ग किलोमीटर है । सन् 2001 की जनगणना के कुछ मुख्य बिन्दु, नागौर जिले की ब्लॉक वार शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का विवरण तथा नागौर जिले की जाति–वार जनसंख्या का विवरण क्रमश : सारणी संख्या 1.3 , 1.4 , 1.5 में प्रस्तुत है :–

सारणी 1.3

जनगणना 2001 के कुछ मुख्य बिन्दु

क.सं.	विवरण	संख्या
1	जिले की कुल जनसंख्या	27,73,894
	पुरूष	14,21,455
	महिलाए	13,52,439
2	जिले में लिंग अनुपात (प्रति 1000 पुरुष)	951
3	जिले मे जनसंख्या का धनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	157
4	जिले में अनुसुचित जाति की जनसंख्या	5,57,289
5	जिले में अनुसुचित जन–जाति की जनसंख्या	6,409
6	जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या	22,47,409
7	जिले की कुल शहरी जनसंख्या	5,26,485

(स्त्रोत–जनगणना 2001)

सारणी 1.4

जिले की ब्लॉक वार शहरी ग्रामीण /जनसंख्या का विवरण

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ग्रामीण			शहरी			कुल योग		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1	डेगाना	106926	101670	208596	0	0	0	106926	101670	208596
2	डीडवाना	136971	130238	267209	33514	31867	65381	170485	162105	332590
3	जायल	117165	111404	228569	0	0	0	117165	111404	228569
4	कुचामन	125798	119613	245411	43550	41409	84959	169348	161022	330370
5	लाडनूं	91006	86531	177537	23106	21268	44374	114112	107799	221911
6	मकराना	106962	101704	208666	45465	43230	88695	152427	144934	297361
7	मेड़ता सिटी	92388	87846	180234	23070	21936	45006	115458	109782	225240
8	मूण्डवा	85016	80836	165852	33997	32325	66322	119013	113161	232174
9	नागौर	114107	108497	222604	46335	45625	91960	160442	154122	314564
10	परबतसर	80986	77004	157990	20395	19393	39788	101381	96397	197778
11	रियॉ	94698	90043	184741	0	0	0	94698	90043	184741
योग		1152023	1095386	2247409	269432	257053	526485	1421455	1352439	2773894

सारणी 1.5

जिले में ब्लॉक वार जाति–वार जनसंख्या का विवरण

क.सं.	ब्लॉक	कुल अनुमानित जनसंख्या (जनगणना 2001 के अनुसार)			
		अनुसुचित जाति	अनुसुचित जन–जाति	सामान्य	योग
1	डेगाना	44433	172	163991	208596
2	डीडवाना	60270	434	271886	332590
3	जायल	53545	39	174985	228569
4	कुचामन	64400	3994	261976	330370
5	लाडनूं	39538	289	182084	221911
6	मकराना	61112	242	236007	297361
7	मेड़ता	49647	453	175140	225240
8	मूण्डवा	43673	119	188382	232174
9	नागौर	58874	162	255528	314564
10	परबतसर	40927	168	156683	197778
11	रियां	40870	337	143534	184741
कुल		557289	6409	2210796	2773894

(स्त्रोत–जनगणना 2001)

1.8.1 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :–

इस कार्यकम का मुख्य उद्धैश्य गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगो को रोजगार उपलब्ध कराना है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य यथा–शाला भवन, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केन्द्र, ग्रामीण सड़के इत्यादि । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस योजना से अच्छी तरह से समन्वय किया जाकर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शालाओं में कमरे इत्यादि का निर्माण किया जावेगा ।

1.8.2 सांसद/विधायक क्षैत्रीय विकास कार्यकम :–

इस योजना में कार्य करवाने हेतु क्षैत्रीय विधायकों/सांसदों को निर्धारित राशि–आवंटित की जाती है । सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत इस कार्यकम से भी समन्वय स्थापित कर प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विधालयों में आधार–भूत सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जा सकेगी ।

1.8.3 छात्रों के लिए दुर्धटना बीमा योजना :–

राज्य सरकार द्वारा 1996–1997 से जिले में यह कार्यक्रम लागू किया गया है । इसकें अन्तर्गत समस्त राजकीय विधालयों में कक्षा 1 से 12 तक अध्ययनरत छात्रों के साथ असमायिक किसी भी दुर्धटना के घटित होंने पर उनके संरक्षकों को मुआवजा राशि – उपलब्ध करवाई जाती है । यह राशि दुर्धटना के प्रकार एवं परिमाप पर निर्भर करती है ।

1.8.4 पंचायत समितियों को 11वें वित्त आयोग अनुदान एवं शिक्षा उप–कर से मिलने वाली आय :–

राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढीकरण करने हेतु राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है । इस वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुरूप ग्राम पंचायतों को जनसंख्या के अनुसार विकास कार्यों हेतु राशि आवंटित की जाती है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस योजना से समन्वय स्थापित किया जाकर शाला भवनों में निर्माण कार्य करवायें जायेगे। इसके साथ–साथ ग्राम पंचायतों से प्रति परिवार 10/– रू. प्रति वर्ष के हिसाब से पंचायत समिति को शिक्षा उप–कर की राशि प्राप्त होती है । इस राशि को केवल शैक्षणिक संस्थाओं का विकास करने हेतु

व्यय किए जाने का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा रखा गया है । इस राशि को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सिविल वर्क हेतु प्राप्त होने वाली राशि से डवटेल किया जाकर और ज्यादा संख्या में निर्माण कार्य करवाए जा सकेगे ।

1.8.5 सम्पूर्ण रोजगार योजना :–

केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित पूर्व में संचालित सुनिश्चित रोजगार योजना एवं जवाहर रोजगार योजना को मिलाकर सरकार द्वारा यह नई योजना इस वर्ष से लागू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य सम्पादित करवाए जाते है । जिले में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना से समन्वय स्थापित किया जाकर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करवाए जा सकेगे ।

अध्याय–2

जिले का शैक्षिक परिद्धश्य

2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास :–

जिले के पौरोणिक इतिहास पर दृष्टिपात किया जाये तो पता चलता है कि यहॉ उस समय पौशाला के नाम से प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी । इनके साथ–साथ राजा महाराजा एवं रजवाड़ों द्वारा भी योग्य गुरूओं की अलग से व्यवस्था की जाती थी । इन पोशालाओं में भाषा , अक्षर ज्ञान एवं गणित की शिक्षा दी जाती थी । अंग्रेजो के समय में एक अंग्रेज ऐ.पी.कॉक्स की यहां शिक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई थी , जिन्होनें इस जिले में काफी विद्यालय खोले थे । कॉक्स स्वयं भी अच्छे शिक्षा विद थे तथा शिक्षा के क्षैत्र में उनकी रूचि से ही नागौर जिले में शिक्षा के विकास का कार्यकम आगे बढ.ा ।

2.2 साक्षरता दर :–

नागौर जिला राज्य में साक्षरता/शैक्षिक दृष्टि से 16 वें स्थान पर आता है । 1991 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 31.80% थी । वर्तमान में सन् 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की साक्षरता दर 61.03% है । जिला साक्षरता समिति नागौर से प्राप्त ताजा स्थिति के अनुसार जिले की तहसीलवार कुल साक्षरता दर एवं तहसील वार जातिवार साक्षरता दर का विवरण कमशः सारणी सं. 2.1 तथा 2.2 में प्रस्तुत की जा रही है ।

सारणी 2.1

जिले में साक्षरता दर तहसील वार

क.सं.	तहसील का नाम	ग्रामीण			शहरी			कुल योग		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1	लाडनूं	80.59	46.72	63.86	78.72	42.38	60.68	85.61	58.79	72.54
2	डीडवाना	81.4	47.63	64.6	80.84	46.46	63.62	84.74	55.29	70.71
3	जायल	69.46	32.19	51.12	69.46	32.19	51.12	-	-	-
4	नागौर	72.28	36.21	54.75	67.48	28.69	48.51	80.79	49.94	65.94
5	खीवसर	64.39	25.8	45.52	64.39	25.8	45.52	-	-	-
6	मेड़ता	74.77	36.3	56.19	73.27	33.55	54.02	85.45	56.93	71.98
7	डेगाना	71.53	35.57	53.69	70.79	34.63	52.82	89.2	60.63	75.79
8	परबतसर	73.21	40.23	57.09	72.16	39.08	55.92	86.25	56.28	72.44
9	मकराना	78.87	47.63	63.64	78.17	44.92	61.81	80.37	53.82	67.68
10	नावां	80.05	48.16	64.57	78.68	45.52	62.54	85.24	58.34	72.33
	योग	75.83	40.45	58.26	73.66	37.58	55.92	83.06	54.48	69.37

(स्त्रोत–जिला साक्षरता समिति, नागौर)

सारणी 2.2

जिले में जातिवार साक्षरता दर

क.सं.	तहसील का नाम	सामान्य			अनु.जाति			अनु.जनजाति		
		पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
1	लाडनूं	51.42	12.41	32.01	32.54	2.78	17.96	52.77	16.66	38.33
2	डीडवाना	50.91	10.87	30.89	29.54	2.68	16.54	36.56	10.7	23.68
3	जायल	40.22	7.25	24.03	21.13	1.62	11.7	61.53	0	38.09
4	नागौर	41.73	7.07	24.93	28.24	3.8	16.73	69.79	39.53	63.15
5	खींवसर	40.02	6.97	23.495	20.11	1.62	10.865	60.02	10.5	35.26
6	मेड़ता	49.66	11.16	31.24	33.51	3.79	19.28	59.69	19.73	41.71
7	डेगाना	45.77	9.4	27.84	28.98	2.13	15.94	40.67	13.72	28.18
8	परबतसर	41.8	10.51	26.32	29.11	2.61	16.73	40.35	63.03	26.66
9	मकराना	48.52	11.96	30.79	27.54	1.82	15.22	25	1.67	16.02
10	नावां	49.19	11.25	30.72	39.49	3.91	22.26	43.69	3.32	25.19

स्त्रोत–जिला साक्षरता समिति, नागौर

2.3 जिले में उपलब्ध शैक्षिक संस्थाएं :–

2.3.1 उच्च शिक्षा :–

जिला नागौर में उच्च शिक्षा की विशेष सुविधा उपलब्ध है । इस जिले में एक डीम्ड विश्वविद्यालय " जैन विश्व भारती संस्थान लाडनूं " में है, जहॉ स्नातक , स्नातकोत्तर एवं दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था है । यहॉ जैनोलोजी , योग एवं प्रेक्षाध्यान में पत्राचार पाठ्यकम भी संचालित किया जाता है । जो समूचे भारत वर्ष में फिलहाल कहीं नहीं है । जिले में 7 स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय है । तथा 117 उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 265 माध्यमिक विद्यालय है । जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय भी है । जिले में 4 आई.टी.आई. है । जिले में उपलब्ध उच्च स्तर की शिक्षण संस्थाओ का विवरण सारणी संख्या 2.3 में प्रस्तुत है :–

सारणी 2.3

जिले में उपलब्ध उच्च स्तर की शिक्षण संस्थाओ का विवरण

क.सं.	विवरण	राजकीय		मान्यता प्राप्त	
		बालक	बालिका	बालक	बालिका
1	विश्व विद्यालय (जैन विश्व भारती)	डीम्ड विश्वविद्यालय , लाडनूं		–	–
2	स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय	3	2	2	–
3	सीनियर सेकेण्डरी स्कूल	94	14	8	1
4	माध्यमिक विद्यालय	232	15	16	2
5	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	–	–
6	नवोदय विद्यालय	1	–	–	–

(स्त्रोत–डी.पी.ई.पी, नागौर)

2.3.2 प्रारम्भिक शिक्षा :–

(क) औपचारिक शिक्षा :– शिक्षा के सार्वजनीकरण में नागौर जिले की प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर दृष्टिपात करने पर अन्य जिलों की तुलना में यहॉ कि स्थिति कहीं बेहतर कही जा सकती है । यहॉ लोक जुम्बिश परियोजना एवं शिक्षाकर्मी परियोजना वर्ष 1995 एवं 1989 में संचालित की गई थी । यहॉ वर्तमान में 111 विद्यालय राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड जयपुर द्वारा संचालित है । जिनमें से 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय है । जिले में 560 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 255 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय है । जिले में कुल एवं 1202 राजकीय और 370 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय भी है । इनके अलावा जिले में 1171 राजीव गॉधी पाठशालाएं है तथा डी.पी.ई.पी द्वारा 140 वैकल्पिक विद्यालय एवं 30 मदरसा पाठशालाएं जिले में गत 2 वर्षो से संचालित की जा रही है । जिले में उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु उपलब्ध शिक्षण संस्थाओं का विवरण सारणी संख्या 2.4 में प्रस्तुत है :–

सारणी 2.4

जिले में प्रारंभिक शिक्षा हेतु उपलब्ध शिक्षण संस्थाओं का विवरण

(As on 31.12.02)

प्राथमिक विद्यालय			उच्च प्राथमिक विद्यालय			राजीव गॉधी पाठशाला	शिक्षाकर्मी पाठशाला			वैकल्पिक विद्यालय	मदरसा
राज.	मान्यता प्राप्त	योग	राज.	मान्यत । प्राप्त	योग	प्रा.वि.	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	योग	प्रा.वि.	प्रा.वि.
1202	370	1572	600	255	855	1171	105	6	111	140	30

(स्त्रोत–डी.पी.ई.पी, नागौर)

2.4 शिक्षकों की उपलब्धता :–

प्राथमिक स्तर पर जिले में शिक्षक–छात्र अनुपात 1 : 50 का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है , जिसे संतोषजनक नही कहा जा सकता है । बालिकाओं की शिक्षा हेतु महिला शिक्षको की स्थिति तो और भी चिंतनीय है । समानीकरण की प्रकिया से जहॉ कुछ स्कूलों में अध्यापक अनुपात से अधिक पहुँच गए है , तो कहीं अनुपात से काफी कम भी है । कुछ पदों के सापेक्ष पैराटीचर की नियुक्ति राज्य सरकार के प्रावधान के अन्तर्गत मासिक मानदेय के आधार पर की गई है ।

वर्तमान में जिले में 1285 पैराटीचर कार्यरत है , जिनमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु महिला पैराटीचर के 461 पद भी शामिल है । लेकिन इन 461 पदों में से मात्र 207 पदों पर ही महिला पैराटीचर्स कार्यरत है । शेष पुरुष पैराटीचर है , जो कि राजीव गॉधी पाठशालाओं में कार्यरत है । नागौर जिले में प्रारंभिक शिक्षा हेतु राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की विद्यालयवार स्थिति , जातिवार स्थिति , योग्यतावार स्थिति , विद्यालय संचालनवार स्थिति तथा जिले में शिक्षक–छात्र अनुपात की स्थिति का पूर्ण विवरण क्रमशः सारणी सं. 2.5 , सारणी सं. 2.6 ,सारणी सं. 2.7, सारणी सं. 2.8 एवं सारणी सं. 2.9 में प्रस्तुत की जा रही है :–

सारणी 2.5

राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता

(As on 30-09-02)

क.सं.	ब्लॉक का नाम	कार्यरत शिक्षक									कार्यरत शिक्षा सहयोगी								
		प्राथमिक विद्यालय			राजीव गाँधी पाठशाला			उच्च प्राथमिक विद्यालय			शिक्षाकर्मी			आंगन शाला			मदरसा		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	डेगाना	327	63	390	53	7	60	281	67	348	32	8	40	0	0	0	0	0	0
2	डीडवाना	508	93	601	175	23	198	441	48	489	6	0	6	0	0	0	8	5	13
3	जायल	328	47	375	105	14	119	259	43	302	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4	कुचामन	203	90	293	112	10	122	4[illegible]	139	543	91	19	110	28	5	33	0	0	0
5	लाडनूं	191	61	252	43	5	48	241	72	313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	मकराना	275	54	329	109	17	126	356	72	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	मेड़ता सिटी	236	57	293	42	5	47	277	36	313	0	0	0	15	4	19	0	0	0
8	मूण्डवा	237	76	313	165	24	189	271	26	297	0	0	0	8	3	11	1	0	1
9	नागौर	292	137	429	154	16	170	370	82	452	48	12	60	22	8	30	13	2	15
10	परबतसर	175	72	247	85	14	99	186	142	328	32	8	40	3	0	3	0	0	0
11	रियाँ	253	61	314	96	11	107	254	47	301	0	0	0	9	5	14	0	0	0
	योग	3025	811	3836	1139	146	1285	3340	774	4114	209	47	256	85	25	110	23	7	30

(स्त्रोत–डी.ई.औ.नागौर)

सारणी 2.6

अध्यापकों का जातिवार वर्गीकरण

(As on 30-09-02)

क.सं.	ब्लॉक का नाम	अनु.जाति			अनु.जनजाति			अन्य			योग		
		पुरूष	महिलाऐं	योग	पुरूष	महिलाऐं	योग	पुरूष	महिलाऐं	योग	पुरूष	महिलाऐं	योग
1	डेगाना	108	13	121	21	6	27	564	126	690	693	145	838
2	डीडवाना	118	8	126	28	3	31	992	158	1150	1138	169	1307
3	लाडनू	56	16	72	8	2	10	411	120	531	475	138	613
4	मकराना	102	36	138	43	1	44	595	106	701	740	143	883
5	जायल	70	14	84	10	0	10	613	90	703	693	104	797
6	नागौर	72	54	126	43	5	48	784	198	982	899	257	1156
7	मूण्डवा	33	15	48	17	3	20	632	111	743	682	129	811
8	परबतसर	64	39	103	10	11	21	407	186	593	481	236	717
9	कुचामन	219	48	267	71	14	85	548	201	749	838	263	1101
10	रियां	68	18	86	15	2	17	529	104	633	612	124	736
11	मेड़ता	86	20	106	26	0	26	458	82	540	570	102	672
	कुल	996	281	1277	292	47	339	6533	1482	8015	7821	1810	9631

(स्त्रोत–डी.ई.औ.नागौर)

सारणी 2.7

जिले में अध्यापकों का योग्यता अनुसार वितरण

स्कुल का प्रकार	योग्यता	मा. से कम	मा.वि.	उ.मा.	स्नातक	स्नातकोतर	योग
प्रा.वि.	अप्रशिक्षित	42	44	11	19	12	128
	एस.टी.सी.	0	201	832	356	40	1429
	बी.एड.	0	0	0	1298	920	2218
	एम.एड	0	0	0	0	61	61
	योग	42	245	843	1673	1033	3836
उ.प्रा.वि.	अप्रशिक्षित	17	27	13	27	19	103
	एस.टी.सी.	0	193	739	567	57	1556
	बी.एड.	0	0	0	1298	968	2266
	एम.एड	0	0	0	0	189	189
	योग	17	220	752	1892	1233	4114
रा.गॉ.पा.	अप्रशिक्षित	41	51	49	255	20	416
	एस.टी.सी.	0	57	198	137	22	414
	बी.एड.	0	0	0	30	417	447
	एम.एड	0	0	0	0	8	8
	योग	41	108	247	422	467	1285
कुल योग		100	573	1842	3987	2733	9235

(स्त्रोंत्र :– जिला शिक्षा अधिकारी ,नागौर)

सारणी 2.8

जिले में विद्यालय संचालनवार अध्यापकों की स्थिति

(As on 30-09-02)

स्कुल	1 अध्यापक	2 अध्यापक	3 अध्यापक	4 अध्यापक	5 अध्यापक	6 अध्यापक	7 अध्यापक	8 अध्यापक	8 से अधिक अध्यापक
प्रा.वि.	252	1208	1121	591	379	154	86	45	0
उ.प्रा.वि.	12	147	379	623	766	1229	664	211	83
रा.गॉ.पा.	1092	193	0	0	0	0	0	0	0
योग	1356	1548	1500	1214	1145	1383	750	256	83

(स्त्रोत डीपीईपी.नागौर

2.5 नामांकन

जिले में भोगौलिक एवं आर्थिक विपन्नता के कारण विद्यालयों में नामांकन काफी कम है । कतिपय जातियो का स्थाई स्वरोजगार नहीं होने के कारण उनका अन्यत्र पलायन भी अनिवार्य हो जाता है । भेड . बकरियो एवं ऊटों के काफिलो आदि को पालना तथा उन पर आधरित रोजगार ही इन जातियो के जीवन यापन का मुख्य स्त्रोत है । वर्षा की न्यूनता के कारण ये लोग जुलाई, , अगस्त एवं सितम्बर माह तक ही जिले में अधिकांशतः निवास करते है । शेष अवधि में पूरे परिवार के साथ पलायन करते है। जिनमें गूजर , रेबारी , बनबागरीया आदि जातियॉ मुख्य है । फिर भी जिले में शिक्षा के क्षैत्र में संचालित अनेक बहुमुखी योजनाओं के कारण गत पांच वर्षों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है । गत सितम्बर 2001 तक जिले में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु जातिवार नामांकन की स्थिति , कक्षा वार नामांकन , छात्रों की आयु–वर्ग के अनुसार नामांकन , प्रबंधन वार नामांकन की स्थिति एवं प्रारम्भिक शिक्षा से वंचित बालको का विवरण क्रमशः सारणी सं. 2.10 , सारणी सं. 2.11 , सारणी सं. 2.12 , सारणी सं. 2.13 तथा सारणी सं. 2.14 में प्रस्तुत किया जा रहा है । इनके अलावा जिले में सकल नामांकन की स्थिति , जिले में छात्रो की ठहराव दर , विद्यालयो से छात्रो के पलायन की स्थिति एवं पुर्नवर्ती–दर का विवरण सारणी सं. 2.15 , सारणी सं. 2.16 , सारणी सं. 2.17 एवं सारणी सं. 2.18 में प्रस्तुत है । :–

सारणी 2.9

जिले की प्रारंभिक शिक्षा में नामांकन अनुसार अध्यापकों की स्थिति (टी.पी.आर.)

(As on 30.09.02)

क.सं.	ब्लाक	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			रा.गा.स.ज.प.		
		नामांकन	कार्यरत शिक्षक	टी.पी.आर.	नामांकन	कार्यरत शिक्षक	टी.पी.आर.	नामांकन	कार्यरत शिक्षक	टी.पी.आर.
1	डेगाना	**14708**	**390**	**37.71**	**14762**	**348**	**42.42**	**2893**	**60**	**48.22**
2	डीडवाना	**22753**	**601**	**37.86**	**20968**	**489**	**42.88**	**8824**	**198**	**44.57**
3	जायल	**13943**	**375**	**37.18**	**13022**	**302**	**43.12**	**5908**	**119**	**49.65**
4	कुचामन	**10017**	**293**	**34.19**	**24956**	**543**	**45.96**	**7289**	**122**	**59.75**
5	लाडनूं	**9200**	**252**	**36.51**	**13575**	**313**	**43.37**	**2524**	**48**	**52.58**
6	मकराना	**12765**	**329**	**38.80**	**18819**	**428**	**43.97**	**4690**	**126**	**37.22**
7	मेड़ता सिटी	**10780**	**293**	**36.79**	**13456**	**313**	**42.99**	**3023**	**47**	**64.32**
8	मूण्डवा	**11479**	**313**	**36.67**	**13181**	**297**	**44.38**	**8304**	**189**	**43.94**
9	नागौर	**16028**	**429**	**37.36**	**19490**	**452**	**43.12**	**9421**	**170**	**55.42**
10	परबतसर	**9412**	**247**	**38.11**	**14468**	**328**	**44.11**	**5236**	**99**	**52.89**
11	रियॉ	**12362**	**314**	**39.37**	**13379**	**301**	**44.45**	**5237**	**107**	**48.94**
	योग	**143447**	**3836**	**37.39**	**180077**	**4114**	**43.67**	**63349**	**1285**	**49.30**

(स्त्रोत डीपीईपी.नागौर)

सारणी 2.10

जिले में जातिवार नामांकन की स्थिति

(As on 31.03.03)

क.सं.	ब्लॉक	सामान्य			अनुसुचित जाति			अनुसुचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	डेगाना	5072	4201	9273	7875	5630	13505	225	125	350	17836	12443	30279
2	रियां	3668	2970	6638	7699	3809	11508	280	101	381	15100	9559	24659
3	मेड़ता	3989	3480	7469	8051	4153	12204	132	70	202	16228	10771	26999
4	परबतसर	4338	3358	7696	7791	3758	11549	65	31	96	17121	12066	29187
5	जायल	4975	3717	8692	5937	4947	10884	129	136	265	20215	13071	33286
6	लाडनूं	3612	3270	6882	5583	3330	8913	242	166	408	12920	8756	21676
7	डीडवाना	8169	6741	14910	10068	6093	16161	88	53	141	22049	16718	38767
8	नागौर	5830	3972	9802	9509	5722	15231	299	191	490	22953	16136	39089
9	कुचामन	5057	4166	9223	10181	6305	16486	527	363	890	22536	16878	39414
10	मूण्डवा	3892	2949	6841	7723	4097	11820	57	27	84	16862	10552	27414
11	मकराना	5538	4259	9797	7817	4550	12367	71	49	120	15764	11894	27658
योग		54140	43083	97223	88234	52394	140628	2115	1312	3427	199584	138844	338428

(स्त्रोत–डी.पी.ई.पी.नागौर)

सारणी 2.11

कक्षावार नामांकन

(As on 31.03.03)

क.सं.	ब्लॉक	जिले में कक्षावार नामांकन की स्थिती							
		कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कक्षा 5	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8
1	डेगाना	19256	9069	6425	5310	4076	3782	3028	2461
2	रियां	17311	7062	4659	3808	3046	2912	2394	1994
3	मेड़ता सिटी	17510	7482	5852	4542	3753	3256	2368	2111
4	परबतसर	19167	7115	5569	4592	3496	3669	2726	2194
5	जायल	20704	9006	6911	5040	3747	3086	2383	2250
6	लाडनूं	13199	5542	4284	3711	3044	3294	2568	2237
7	डीडवाना	23527	12440	8694	6784	5686	5263	4134	3451
8	नागौर	22520	12240	9422	6799	4926	3671	2783	2251
9	कुचामन	21206	9900	8948	7188	6343	5352	3941	3135
10	मूण्डवा	19673	7810	5574	4053	2913	2464	1950	1722
11	मकराना	18476	8000	6342	5322	4170	3159	2491	1982
योग		212549	95666	72680	57149	45200	39908	30766	25783

(स्त्रोत–डी.पी.ई.पी.नागौर)

सारणी 2.12

जिले में आयु वार नामांकन

(As on 31.03.03)

आयु–वर्ग	जिले में आयु वार नामांकन								
	1 से 5			6 से 8			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
0 से 6	78600	53839	132439	0	0	0	78600	53839	132439
6 से 10	173041	135484	308525	11505	6571	18076	184546	142055	326601
11से 14	24445	17404	41849	51644	20361	72005	76089	37765	113854
14 से उपर	262	169	431	4576	1800	6376	4838	1969	6807
योग	276348	206896	483244	67725	28732	96457	344073	235628	579701

(स्त्रोत–डी.पी.ई.पी.नागौर)

सारणी 2.13

जिले में नामांकन की विद्यालय प्रबंधनवार स्थिति

(As on 31.03.03)

स्कुल का प्रकार	कक्षा 1 से 5			कक्षा 6 से 8			योग		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक विद्यालय	127497	90822	218319	0	0	0	127497	90822	218319
उच्च प्राथमिक विद्यालय	108855	80900	189755	48106	19217	67323	156961	100117	257078
रागॉपा.	33515	29834	63349	0	0	0	33515	29834	63349
अन्य स्कूल	5219	4725	9944	1267	566	1833	6486	5291	11777
माध्यमिक / उच्च माध्यमिक	1262	615	1877	18352	8949	27301	19614	9564	29178

(स्त्रोत–डी.पी.ई.पी.नागौर)

सारणी 2.14

शिक्षा दर्पण 2000 से प्राप्त सूचना का विवरण
जिले में शिक्षा से वंचित बच्चे

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	6–11 आयुवर्ग के बच्चो की संख्या			11–14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या			6–11 आयुवर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या			11–14 आयुदर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या			6–11 आयुवर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या			11–14 आयुवर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	डेगाना	12906	10668	23574	8555	6321	14876	297	783	1080	150	718	868	2.30	7.34	4.58	1.75	11.36	5.83
2	डीडवाना	23091	19407	42498	14482	10949	25431	491	1285	1776	896	1659	2555	2.13	6.62	4.18	6.19	15.15	10.05
3	लाडनू	13964	11738	25702	8098	5662	13760	565	962	1527	124	518	642	4.05	8.20	5.94	1.53	9.15	4.67
4	मकराना	17343	14545	31888	12932	9032	21964	1318	1869	3187	482	1297	1779	7.60	12.85	9.99	3.73	14.36	8.10
5	जायल	17384	14144	31528	7940	5325	13265	1180	2084	3264	689	1476	2165	6.79	14.73	10.35	8.68	27.72	16.32
6	नागौर	18928	15824	34752	11343	7494	18837	1034	1451	2485	1460	2152	3612	5.46	9.17	7.15	12.87	28.72	19.18
7	मूण्डवा	15103	12128	27231	9166	6689	15855	1248	3357	4605	1445	1883	3328	8.26	27.68	16.91	15.76	28.15	20.99
8	परबतसर	13321	10006	23327	7306	4985	12291	765	1559	2324	2304	429	2733	5.74	15.58	9.96	31.54	8.61	22.24
9	कुचामन	24697	20480	45177	14833	11163	25996	1213	1791	3004	610	1288	1898	4.91	8.75	6.65	4.11	11.54	7.30
10	रियां	12648	8798	21446	7225	5891	13116	1084	1586	2670	418	278	696	8.57	18.03	12.45	5.79	4.72	5.31
11	मेडता	12798	9976	22774	7929	5891	13820	1165	1953	3118	645	1369	2014	9.10	19.58	13.69	8.13	23.24	14.57
	कुल	182183	147714	329897	109809	79402	189211	10360	18680	29040	9223	13067	22290	5.69	12.65	8.80	8.40	16.46	11.78

स्त्रोत–डी.ई.औ.नागौर

सारणी 2.15

जिले में सकल नामांकन की ब्लॉक वार स्थिति

(As on 31.03.03)

क.सं.	ब्लॉक	जनसंख्या			नामांकन			सकल नामांकन		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	डेगाना	21988	22093	44081	31008	22399	53407	141.02	101.39	121.16
2	डीडवाना	38100	35460	73560	40374	29605	69979	105.97	83.49	95.13
3	लाडनू	22589	22504	45093	22357	15522	37879	98.97	68.97	84.00
4	मकराना	30802	28681	59483	29190	20747	49937	94.77	72.34	83.95
5	जायल	25851	24573	50424	31256	21871	53127	120.91	89.00	105.36
6	नागौर	30798	28422	59220	38591	26021	64612	125.30	91.55	109.11
7	मूण्डवा	24796	23921	48717	28534	17625	46159	115.08	73.68	94.75
8	परबतसर	21154	20095	41249	29315	19213	48528	138.58	95.61	117.65
9	कुचामन	40053	36747	76800	38301	27712	66013	95.63	75.41	85.95
10	रियां	20400	19792	40192	26747	16439	43186	131.11	83.06	107.45
11	मेड़ता	21254	20971	42225	28400	18474	46874	133.62	88.09	111.01
	कुल	297785	283259	581044	344073	235628	579701	115.54	83.18	198.73

(स्त्रोत–डी.पी.ई.पी.नागौर)

सारणी 2.16

ठहराव दर

(As on 30.09.02)

क.सं.	ब्लॉक	नामांकन 1996–97			नामांकन कक्षा 8 2002–2003			ठहराव दर (प्रतिशत)		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	डेगाना	4849	5006	9855	1264	1197	2461	26.07	23.91	24.97
2	डीडवाना	7838	5708	13546	1769	1682	3451	22.57	29.47	25.48
3	लाडनू	3699	3631	7330	1146	1091	2237	30.98	30.05	30.52
4	मकराना	5988	5568	11556	1016	966	1982	16.97	17.35	17.15
5	जायल	5689	4754	10443	1153	1097	2250	20.27	23.08	21.55
6	नागौर	5780	5903	11683	1154	1097	2251	19.97	18.58	19.27
7	मूण्डवा	5156	3979	9135	883	839	1722	17.13	21.09	18.85
8	परबतसर	5946	5007	10953	1126	1068	2194	18.94	21.33	20.03
9	कुचामन	7061	6883	13944	1607	1528	3135	22.76	22.20	22.48
10	रियां	5003	3626	8629	1022	972	1994	20.43	26.81	23.11
11	मेड़ता	4648	2219	6867	1082	1029	2111	23.28	46.37	30.74
योग		61657	52284	113941	13222	12566	25788	21.44	24.03	22.63

(स्त्रोत डीपीईपी.नागौर)

सारणी 2.17

जिले में नामांकित छात्रों के पलायन की स्थिति का विवरण

विवरण	कक्षा – 1	कक्षा – 2	कक्षा – 3	कक्षा – 4	कक्षा – 5	कक्षा – 6	कक्षा – 7	कक्षा – 8
नामांकन 30 सितम्बर 2001	157549	85766	63880	49449	39700	33418	24720	19661
वर्ष के अन्त में नामांकन	142769	82558	63310	50079	40602	34292	25508	20434
पलायन	17279	5049	1675	613	364	401	230	126
पलायन दर (प्रतिशत में)	11.0	5.9	2.6	1.2	0.9	1.2	0.9	0.6

स्त्रोत–डी.पी.ई.पी.नागौर

सारणी 2.18

पुर्नवर्ती–दर

विवरण	कक्षा – 1	कक्षा – 2	कक्षा – 3	कक्षा – 4	कक्षा – 5	कक्षा – 6	कक्षा – 7	कक्षा – 8
नामांकन 30 सितम्बर 2001	157549	85766	63880	49449	39700	33418	24720	19661
उतीर्ण विद्यार्थी	129722	77521	60621	48014	38698	31988	24260	19409
पुर्नवर्ती	10548	3196	1584	822	638	1029	230	126
पुर्नवर्ती–दर	6.7	3.7	2.5	1.7	1.6	3.1	0.9	0.6

स्त्रोत–डी.पी.ई.पी.नागौर

2.6 प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा :–

नागौर जिले की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढॉचा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर निम्नानुसार है :–

जिला स्तर पर :– अतिरिक्त मु.ख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (2पद)

↓

शिक्षा प्रसार अधिकारी (3पद)

ब्लॉक स्तर पर :– अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)

↓

शिक्षा प्रसार अधिकारी

↓

शिक्षाकर्मी सहयोगी (शिक्षाकर्मी विद्यालयों हेतु)

2.7 जिले में वर्तमान शैक्षिक कार्यक्रम :–

वर्तमान में इस जिले में प्राथमिक शिक्षा में गुणवता सुधार एवं नामांकन वृद्धि हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है ।

2.7.1 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी.) :–

नागौर जिले में वर्ष 1998–99 से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी. कार्य कर रही है । इस परियोजना की गतिविधियॉ 4 अक्टूबर 1999 से संचालित है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण , नामांकन में वृद्धि तथा आनन्ददायी वातावरण में शिक्षा द्वारा बालकों के ठहराव में वृद्धि कराना है । प्राथमिक शिक्षा की जमीनी समस्याओं का हल करना तथा प्राथमिक शिक्षक को

मानसिक एवं शैक्षिक दृष्टि से शिक्षण हेतु तैयार करना डीपीईपी. का मुख्य लक्ष्य है । दूर–दराज के इलाकों में अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के बालक बालिकाओं , विकलांग बालकों के नामांकन , महिला जागरूकता एवं बालिका नामांकन पर डीपीईपी. ने जोर दिया है ।

जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी.) वर्ष 1998–99 से संचालित रही है , जिसके अन्तर्गत जिले की शैक्षिक स्थिति में प्रशंसनीय सुधार हुआ है । डीपीईपी. के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों में 81 अतिरिक्त कक्षा–कक्ष , 563 शौचालय , 40 पी.एच.ई.डी. कनेक्सन , 125 संकुल संदर्भ केन्द्र , 107 भवनरहित विद्यालयों के भवन का निर्माण कराया जा चुका है । इनके अलावा 387 प्राथमिक विद्यालयों में मरम्मत कार्य भी करवाया गया है ।

जिले में दूर–दराज के क्षैत्रों में शिक्षण सुविधा से वंचित बालको हेतु डीपीईपी. के द्वारा 180 वैकल्पिक विद्यालय संचालित किए जा रहे है । इनमें कार्यरत सभी शिक्षा सहयोगियों को 41 दिवसीय एवं 30 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किए गये है। जिले में प्राथमिक शिक्षकों , एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों को 9 दिवसीय प्रेरण प्रशिक्षण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए है । शिक्षकों में गुणवता सुधार हेतु 6 दिवसीय पाठ्य वस्तु आधारित आमुखीकरण प्रशिक्षण भी आयोजित किये गए है ।

2.7.2 शिक्षाकर्मी परियोजना :–

स्वीडन इन्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एजेन्सी (सीड़ा) के आर्थिक सहयोग से संचालित शिक्षाकर्मी परियोजना भी जिले में शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षैत्र में प्रमुखता रखती है । शिक्षाकर्मी योजना द्वारा संचालित विद्यालय नागौर,कुचामन सिटी , परबतसर , डीडवाना पंचायत समितियों में संचालित है । कुल 111 विद्यालय इस योजना के अर्न्तगत जिले में चल रहे है , जिनमें से 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है, जो कि कुचामन सिटी ब्लॉक में चल रहे है ।

2.7.3 गुरू मित्र योजना :–

राज्य के टोंक जिले में 5 सितम्बर 1994 से यह योजना शुरू हुई थी । यह योजना क्रिया आधारित एवं आनन्ददायी प्राथमिक शिक्षा के प्रारम्भिक उद्देश्य को लेकर तैयार की गई थी । जिले की परबतसर पंचायत समिति में गुरू मित्र योजना द्वारा संचालित 6 विद्यालय कार्य कर रहे है । इन विद्यालयों में शिक्षक मित्र की तरह व्यवहार करता है । इस ब्लॉक के बिदियाद , रोहिड़ी तथा मंगलाना में इस प्रकार के उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है ।

2.7.4 सरस्वती योजना :–

बालिका शिक्षा के प्रसार एवं साक्षरता दृष्टि हेतु सरस्वती योजना 1994–95 से राज्य में संचालित है । चयन एवं प्रशिक्षण के बाद महिला को सरस्वती बहन कहा जाता है । इनकी नियुक्ति मानदेय आधार पर तीन वर्ष के लिए की जाती है ।

2.7.5 साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम :–

साक्षरता एवं उत्तर साक्षरता कार्यक्रम के दौरान तैयार किये गये नव साक्षरों को शिक्षा में गति देने , उनकी रूचि जागृत करने तथा जीवन में शिक्षा के महत्व को समझने के लिए सतत साक्षरता केन्द्र खोले गये है । सभी विकास गतिविधियॉ, राष्ट्रीय महत्व , पर्यावरणीय गतिविधियॉ , समानता एवं महिला समृद्धि तथा अध्ययन सुविधाओं का विस्तार इन केन्द्रो पर झलकता है । इस प्रकार यह सभी नव साक्षर डीपीईपी. की मौलिक सम्पदा है ।

2.7.6 समाज कल्याण विभाग :–

जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा 10 छात्रावास संचालित है । सर्व शिक्षा अभियान में धुमक्कड़ जातियों , तथा पलायन करने वाले अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति छात्रों को रोकने तथा विद्यालयों में ठहराव सुनिश्चित करने हेतु इन छात्रावासों से समन्वय स्थापित किया जाकर वंचित वर्ग के बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किए जायेगें ।

2.7.7 आई.सी.डी.एस.(एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम) :–

3 से 6 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं में प्राथमिक शिक्षा की निरन्तरता बनाने हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों का प्रावधान है । इन् केन्द्रों का उपयोग बालकों को प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार करने हेतु डीपीईपी. द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र जिले में संचालित किए जा रहे है । यहॉ कार्यरत अनुदेशिका को रू. 150/– प्रति माह एवं सहायिका को रू. 50/– प्रति माह डीपीईपी. द्वारा मानदेय के रूप में प्रदान किया जाता है । सर्व शिक्षा अभियान में भी ऐसे केन्द्र संचालित किए जाने का प्रावधान रखा गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन से जिले में निम्न उपलब्धियॉ हासिल हुई है :–

(क) शारीरिक एवं मानसिक विकास

(ख) जातीय विकास

(ग) भाषा का विकास

(घ) सामाजिक साहचर्य का विकास

(ड़) क्रियात्मक एवं प्रयोगात्मक विकास

2.7.8 राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम (घूधरी कार्यक्रम) :–

जिले में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के तहत जुलाई 2002 तक कक्षा 1 से 5 तक के सभी बालक–बालिकाओं को उनकी 80 % उपस्थिति के आधार पर 3 किलों पोषाहार प्रतिमाह दिया जाता रहा है । जुलाई 2002 सें शाला में ही पोषाहार पकाया जाकर बालकों को खिलाने की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गई है । डीपीईपी. द्वारा विद्यालयों को दैनिक आवश्यकता हेतु दी जानेवाली 2000 रूपये सालाना राशी का उपयोग उक्त घूघरी निर्माण में स्थायी बर्तन खरीदने हेतु उपयोग करने के निर्देश दिये गये है । घूघरी पका कर देने से शालाओं में प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ानें , पलायन रोकने तथा ठहराव रखने में आश्चर्य जनक बदलाव नजर आया है । सर्व शिक्षा अभियान मे भी इस कार्यक्रम को प्रभावी , गुणवता पूर्ण बनाया जाकर निरन्तर जारी रखने का प्रावधान है । इस कार्यक्रम से समाज के कमजोर वर्ग के बालक–बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

2.7.8 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :–

जिले के कक्षा 1 से 5 तक के सभी राजकीय विद्यालयों , शिक्षाकर्मी पाठशालाओं तथा राजीव गॉधी पाठशालाओं में निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है । बालिकाओं के लिए यह व्यवस्था कक्षा 1 से 8 तक राज्य सरकार द्वारा की गई है । इस योजना से कमजोर वर्ग के अभिभावकों को काफी फायदा मिला है । फलस्वरूप छात्रों को स्कूल भेजने की ओर उनकी रूचि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । सर्व शिक्षा अभियान में भी इस योजना अन्तर्गत पर्याप्त राशि का प्रावधान रखा गया है ।

अध्याय 3

नियोजन प्रकिया

3.1 भूमिका :–

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वजनीकरण का पहला राष्ट्रीय अभियान है। यह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है । इसके अन्तर्गत ग्रामीण स्तर की योजनाओं को ब्लॉक स्तर पर संग्रहीत करके जिले की शैक्षिक योजना तैयार की गयी है। इसमें प्रत्येक स्तर पर जिले की सहभागिता प्राप्त की गयी है । जिले की योजना तैयार करने हेतु जिला कलेक्टर नागौर की अध्यक्षता में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम , नागौर के अधिकारियों की एक कोर टीम गठित की गई ।

3.2 योजना समिति का गठन :–

जिले में सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला स्तर पर दिनांक 03.01.2002 को जिला प्रमुख,नागौर की अध्यक्षता में डीपीईपी. कार्यालय नागौर में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों , जन प्रतिनिधियों तथा समाज–सेवा से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया । इस बैठक में जिला परियोाजना समन्वयक , डीपीईपी. नागौर द्वारा सदन को सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए इसके सफल नियोजन हेतु जिला स्तर , ब्लॉक स्तर एवं विद्यालय स्तर पर योजना समितियों का गठन करने हेतु निवेदन किया । इस पर सदन ने सर्व सम्मति से सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार योजना समितियों का गठन करने की अनुमति प्रदान की ।

3.2.1 जिला स्तरीय योजना समिति

1.	ज़िला प्रमुख , जिला परिषद् नागौर	अध्यक्ष
2.	सांसद, नागौर / बीकानेर / चूरू	सदस्य

3.	समस्त विधायक गण, जिला नागौर	सदस्य
4.	जिला कलेक्टर,, नागौर	सदस्य
5.	अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास) नागौर	सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिला परिषद् , नागौर	सदस्य
7.	समस्त उपखण्ड अधिकारी , जिला नागौर	सदस्य
8.	जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी , नागौर ।	सदस्य
9.	प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कुचामन सिटी।	सदस्य
10.	उप निदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग , नागौर ।	सदस्य
11.	अधिक्षण अभियन्ता , सा.नि.वि. , नागौर ।	सदस्य
12.	अधिक्षण अभियन्ता , ज.स्वा.अभि.वि. नागौर ।	सदस्य
13.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी , नागौर ।	सदस्य
14.	जिला समाज कल्याण अधिकारी , नागौर ।	सदस्य
15.	सचिव , जिला साक्षरता समिति , नागौर ।	सदस्य
16.	शिक्षक संगठनों के सदस्य (2 सदस्य)	सदस्य
17.	समाज सेवी एवं प्रगतिशील महिलाएं । (2 सदस्य)	सदस्य
18.	दो सेवा निवृत शिक्षक ।	सदस्य
19.	जिला परियोजना समन्यवक, डी.पी.ई.पी. नागौर ।	सदस्य सचिव

3.2.2 ब्लॉक स्तरीय योजना समिति :–

1. प्रधान पंचायत समिति -- अध्यक्ष

2. क्षैत्रीय विधायक – सदस्य

3. विकास अधिकारी – सदस्य

4. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी – सदस्य

5. शिक्षा प्रसार अधिकारी – सदस्य

6. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी – सदस्य

7. प्राचार्य,रा.सी.उ.मा.वि. (ब्लॉक मुख्यालय) – सदस्य

8. चिकित्सा अधिकारी (ब्लॉक मुख्यालय) – सदस्य

9. दो उत्साही एवं प्रगतिशील सरपंच – सदस्य

10.शिक्षक संघ के पदाधिकारी (दो) – सदस्य

11.समाज सेवी महिलाएं (दो) – सदस्य

12.सेवा निवृत अध्यापक (दो) – सदस्य

13.ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी ,डीपीईपी. – सदस्य सचिव

3.2.3 विद्यालय स्तरीय योजना समिति :–

1. सरपंच / संबधित वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच – अध्यक्ष

(अगर विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न हो तो)

2. दो सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी – सदस्य

3. संबंधित संकुल केन्द्र सहयोगी – सदस्य

4. ग्राम सेवक – सदस्य

5. पटवारी – सदस्य

6. ए.एन.एम./ महिला शिक्षक – सदस्य

7. दो महिला अभिभावक – सदस्य

8. दो पुरूष अभिभावक – सदस्य

9. एक–एक प्रतिनिधि (समाज के कमजोर वर्ग से) – सदस्य

10. शाला के दो अध्यापक – सदस्य

11. शाला प्रधान – सदस्य सचिव

3.2.4 जिला कोर ग्रुप का गठन –

जिला नियोजन समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला स्तर पर जिला कोर ग्रुप का गठन निम्नानुसार अनुमोदित किया गया –

1. जिला कलेक्टर , नागौर – अध्यक्ष

2. जिला परियोजना समन्वयक ,डीपीईपी. ,नागौर – सदस्य सचिव

3. सहायक अभियन्ता डीपीईपी. , नागौर – सदस्य

4. सहायक परियोजना समन्वयक ,डीपीईपी., नागौर – सदस्य

5. सहायक लेखाधिकारी डीपीईपी. , नागौर – सदस्य

6. कम्प्यूटर प्रभारी , डीपीईपी. , नागौर – सदस्य

7. कार्यक्रम सहायक, डीपीईपी. , नागौर – सदस्य

8. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, डीपीईपी नागौर – सदस्य

9. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, डीपीईपी कुचामन – सदस्य

10. संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी, डीपीईपी भाकरोद – सदस्य

11. संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी, डीपीईपी डेह – सदस्य

जिला नियोजन समिति द्वारा जिला कोर ग्रुप को ब्लॉक स्तर पर एवं विद्यालय स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में बैठके आयोजित कर शिक्षा से जुड़े स्थानीय मुद्दे एवं समस्याओं तथा आवश्यकताओं का पूर्ण विवरण जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया ।

जिला नियोजन समिति के निर्देशानुसार जिला कोर ग्रुप के पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न स्तरों पर बैठकों का आयोजन किया गया एवं इन बैठकों में सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाकर अभियान से संबंधित शिक्षा के क्षैत्र में स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई । सारणी में 3.1 में विभिन्न स्तरों पर आयोजित बैठकों का विवरण प्रस्तुत है ।

सारणी 3.1

क्र. सं.	नाम समिति	बैठक की निश्चित दिनांक/दिन	कुल संख्या आयोजित बैठक	कुल सदस्य संख्या	उपस्थित सदस्य संख्या (प्रतिशत में)
1	जिला स्तरीय	03.01.2001	1	50	35
2	ब्लॉक स्तरीय	29.01.2001	11	2200	120
3	ग्राम पंचायत स्तरीय	19.11.2001	461	4610	3500
4	संकुल स्तरीय	19.11.2001	125	3258	3000
5	ग्राम स्तरीय	19.11.2001	1470	14700	12000

6	नगरपालिका क्षैत्र में वार्ड स्तरीय	23.01.2002	187	3740	3000

3.3 शिक्षा आपके द्वार :–

शिक्षा दर्पण 2000 के आंकड.ों को ताजा स्थिति के अनुसार समेकित करवानें तथा विभिन्न वर्गो के अनामांकित छात्र /छात्राओं के विद्यालयों से नही जुड़ने के कारणों की विस्तृत जानकारी " शिक्षा आपके द्वार 2001" के तहत इकट्ठी की गई । साथ ही साथ स्थानीय मान्यताओं के अनुरूप अनामांकित छात्र /छात्राओं को नामांकित करने के उपायों पर विचार किया गया । इसी अनुसार जिला नागौर में दिसंबर 2001 को जिले में अनामांकित छात्रों को नामांकित करने के लिए मार्च 2002 से सघन अभियान चलाया गया ।

3.4 प्रशासन शहर / गॉवों के संग अभियान :–

राज्य सरकार द्वारा जिले में प्रशासन गॉवों / शहरों के संग के अन्तर्गत एक सधन अभियान की शुरूआत की गई । इस अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर पालिका के प्रत्येक वार्ड में सम्पूर्ण प्रशासन एक दिन के लिए एकत्रित होता है तथा उस स्थान विशेष से संबंधित विभिन्न विभागों की समस्त समस्याओं का यथा संभव मौके पर ही निस्तारण किया जाता है । इसी अनुरूप इस अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर हुई बैठकों में शिक्षा से संबंधित भी अनेक मुददों यथा नामांकन , ठहराव , गुणवत्ता पूर्ण शिक्षण , शालाओं में आधार भूत सुविधाओं की स्थिति एवं मांग तथा शिक्षकों के क्रिया–कलापों पर विस्तृत चर्चा करने से शिक्षा के क्षैत्र की अनेक जानकारियां प्राप्त हुई । इन सभी विषयों को सर्व शिक्षा अभियान के नियेाजन हेतु दृष्टिगत रखा गया है ।

3.5 नागौर जिले के सामाजिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण (1998) से प्राप्त जानकारी :–

सन् 2001 में किए गए नागौर जिले के सामाजिक मूल्यांकन एवं सर्वेक्षण से समाज के वंचित वर्गो के पिछडे पन से संबधित निम्न जानकारियां प्राप्त हुई है :–

- अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जनजाति के परिवारों की कमजोर आर्थिक स्थिति ही उनके बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का मुख्य कारण है । ऐसी स्थिति में बच्चों को शाला में भेजने के बजाय इनके माता पिता इन्हें मजदूरी के लिए भेजना अधिक महत्व देते है।

- समाज की घुम्मकड. जातियॉ जैसे बागरिया , राईका , गुर्जर इत्यादि अपने गुजर बसर एवं पशु धन को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है । हालांकि वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहती है । लेकिन ऐसी स्थिति में यह कार्य संभव नहीं हो पाता है ।

- समाज के अल्प संख्यक समुदाय के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय उन्हें अल्प आयु में ही अपने पुश्तैनी कार्य यथा – आरी–तारी कार्य , लोहे का कार्य , चुड़ी बनाने के कार्य , इत्यादि में लगाना पसन्द करते है ।

- मुस्लिम समुदाय के साथ खास बात यह है की वे अपनी बच्चियों को पढ़ाने के बजाय गृहकार्य , पुश्तैनी कार्य में सहयोग करवाना पसन्द करते है । साथ ही बच्चियों को पढ़ाना धर्म के खिलाफ भी मानते है । इनके लिए विशेष प्रकार के सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों की आवश्यकता है । सर्व शिक्षा अभियान में इसके लिए पृथक से प्रावधान रखा गया है ।

- शाला भवनों की दयनीय स्थिति भी कम नामांकन के लिए उत्तरदायी है । जिले में अभी भी कई विद्यालय ऐसे है , ,जिनमें निर्माण के 20–20 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी सफेदी तक दुबारा नही हुई है । उनके फर्श , छत , जर्जर दीवारें , टुटे हुए दरवाजे भी अभिभावकों को अपने नैनिहालों को शाला में प्रवेश दिलाने से रोकती है ।

3.6 जिले के बेस लाईन सर्वेक्षण 1998 से प्राप्त स्थिति

नागौर जिले में सन् 1998 में कराए गए आधार भूत सर्वेक्षण (बेस लाईन सर्वे) के आधार पर शिक्षा से जुड़े अनेक बिन्दुओं संबंधी प्राप्त जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

3.6.1 जिले के मात्र 24 प्रतिशत विद्यालयों में शौचालय /मूत्रालय की सुविधा है तथा छात्राओं के लिए पृथक से ऐसी व्यवस्था और भी कम है । इनका विवरण निम्नानुसार है :–

(1) घंटी	– 90 %
(2) छात्रों के लिए दरी पट्टिया	– 10%
(3) शिक्षकों के लिए कुर्सियां	– 70%
(4) शिक्षकों के लिए मेज	– 65%
(5) सूचना पट्ट /ब्लेक बोर्ड	– 65%
(6) पेयजल की उपलब्धता	– 80%
(7) कचरा पात्र	– 40%
(8) छात्राओं के लिए प्रथक से शौचालय	– 10%
(9) शालाओं में बिजली कनेक्शन	– 8%
(10) छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण	– 48%
(11) टीकाकरण	– 45%

(12) प्राथमिक चिकित्सा के साधन – 8%

3.6.2 खेल संबंधी सुविधाएं :–

(1) नागौर जिले के विद्यालयों में खेल मैदान की उपलब्धता – 28%

(2) शाला परिसर में उपलब्ध खेल मैदान – 20%

(3) खेल उपकरण – 40% से कम

(4) वाद्य यंत्र – 60%

3.6.3 शिक्षण सामग्री की उपलब्धता :–

(1) शिक्षण सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता जिले में अत्यन्त कम है ।

(2) छात्रों की वर्क बुक्स की स्थिति भी कमजोर एवं काम में लेने योग्य नहीं है ।

(3) शिक्षक डायरी भी कई विद्यालयों में संधारित नहीं की जाती है ।

(4) शिक्षक हैडंबुक में दी गई गतिविधियां भी सुरूचिपूर्ण नहीं है तथा व्यवहारिक भी नहीं है ।

(5) सामुदायिक सहभागिता का पर्याप्त अभाव पाया गया ।

(6) ज्यादातर महिला शिक्षक शहरी क्षैत्रों में कार्यरत है ।

3.6.4 शहरी क्षैत्रों में कार्यरत केवल 25.81% शिक्षकों के पास ही फ्लैश कार्ड , शिक्षक मार्ग दर्शिका एवं शब्द कोष उपलब्ध है, ग्रामीण क्षैत्रों में तो यह संख्या 26.77% ही पायी गई है ।

3.6.5 जिले में शहरी क्षैत्रों के 71.65% शिक्षक एवं ग्रामीण क्षैत्र के 67.7% शिक्षकों को गत तीन वर्षो से किसी भी प्रकार सेवारत अभिनवन प्रशिक्षण नहीं दिया गया है ।

3.6.6 छात्रों की शाला में निरन्तर अनुपस्थिति अथवा अनियमित उपस्थिति के निम्न कारण पाए गए है ।

(1) कक्षा कक्ष के अन्दरूनी वातावरण का आनंदमय होने के स्थान पर शिक्षकों से आतंकित होना ।

(2) शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से गृह कार्य की जांच नहीं करना ।

(3) अधिकतर अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के गृहकार्य एवं स्वाध्याय में किसी प्रकार की मदद नहीं करना ।

(4) कमजोर छात्रों पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान नहीं देना ।

(5) शिक्षकों का भी अनियमित होना एवं शाला के प्रति पूर्ण समर्पित नहीं होना ।

3.6.7 विद्यालय में कम नामांकन के निम्न कारण पाए गए :–

(1) अभिभावकों का अशिक्षित होना ।

(2) बच्चों को पशुधन चराने एवं कृषि कार्य में व्यस्त करना ।

(3) छात्राओं द्वारा अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना ।

(4) छात्राओं के अभिभावको का कमाई हेतु पलायन ।

(5) गॉव / बास स्थान में शाला का नहीं होना ।

3.6.8 छात्राओं की अशिक्षा के कारण :–

(1) वित्तीय कठिनाईयां ।

(2) छात्राओं की गृह कार्य में व्यस्तता ।

(3) छात्राओं को कृषि कार्य में लगाना ।

(4) अभिभावकों का पलायन ।

(5) बाल–विवाह एवं पर्दाप्रथा ।

3.7 समस्याऐं एवं मुद्दे :–

जिले में प्रारंभिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम इस विषय से सम्बन्धित समस्याओं को चिन्हित किया जाकर उनके निराकरण हेतु सुदृढ़ कार्य–योजना की आवश्यकता है । सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन हेतु जिला स्तर पर गठित जिला कोर ग्रुप द्वारा विभिन्न स्तरों पर जन प्रतिनिधियों , अभिभावकों , शिक्षकों एवं राजकीय अधिकारियों से गहन चर्चा के पश्चात् शिक्षा से संबंधित जो मुख्य समस्याएं एवं मुद्दों की जो जानकारी प्राप्त हुई उनका सारांश निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

3.7.1 विद्यालय संबंधी गतिविधियों में जन सहभागिता का पर्याप्त अभाव है

1. ग्रामीणों का मौसमी पलायन ।
2. विद्यालयों में सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का अभाव ।
3. बहुकक्षीय शिक्षण का प्रभावोत्पादक नहीं होना ।
4. शिक्षकों की शालाओं में अनियमित उपस्थिति ।
5. महिला शिक्षकों की अपर्याप्तता ।

3.7.2 पहुंच एवं नामांकन :–

1. छोटे वास स्थानों /ढाणियों में शालाएं नही होना ।
2. अभिभावकों का न्यून साक्षर होना ।
3. आर्थिक पिछड़ापन ।
4. शिक्षा क्षैत्र में अभिभावकों का असहयोग ।
5. सामाजिक कुंठाए।
6. छात्राओं के प्रति अभिभावकों की भेदभावपूर्ण भावना ।
7. शिक्षक–छात्र–अभिभावकों में बेहतर समन्वयन का अभाव ।
8. शिक्षण आनंददायी न होकर आतंक पूर्ण शिक्षण होना ।
9. पेयजल एवं शौचालय का अभाव ।
10. अपर्याप्त कक्षा–कक्ष एवं शाला भवन ।
11. शिक्षण सामग्री का अपर्याप्त एवं नीरस होना ।

3.7.3 गुणवता–नियंत्रण

1. कक्षा कक्षों का वातावरण का आतंक युक्त होना ।
2. किताबों एवं पाठ्य–सामग्री का अनावश्यक बोझ ।
3. शिक्षकों को सेवारत अभिनवन प्रशिक्षणों का नहीं दिया जाना ।
4. शिक्षण सामग्री में क्रियाशीलता का अभाव ।
5. बहुकक्षी शिक्षण का शिक्षकों द्वारा प्रभावी रूप से उपयोग नहीं करना ।
6. शिक्षकों का छात्रों पर पश्चावर्ती नियंत्रण का अभाव ।
7. शालाओं का उपयुक्त वातावरण तैयार करने में जन सहभागिता का अभाव ।

3.6.4 अन्य समस्याएं :–

(क) लिंग भेद :– जिले के ग्रामीण क्षैत्रों में महिला साक्षरता दर 2001 के अनुसार 40.45% है जो काफी कम है एवं अल्प संख्यक वर्गो में तो यह और भी कम है । इसके मुख्य कारण निम्न है :–

- समाज में महिलाओं का निम्न स्थान होना अर्थात पुरूष प्रधान समाज का होना।
- लड़कियों को गृहकार्य में व्यस्त कर देना ।
- कमजोर वर्ग की लड़कियों का धनोपार्जन संबंधी कार्य में व्यस्त होना ।
- बाल विवाह एवं पर्दा–प्रथा ।
- पढ़ी लिखी लड़की के लिए समान शिक्षित वर ढूंढने की माता–पिता की परेशानी ।
- शालाओं में लड़कियों के लिए पृथक से शौचालय / मूत्रालय का न होना।

अध्याय 4

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य

4.1 भूमिका :–

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण काफी अरसे से एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है । इस हेतु राजस्थान में काफी महत्ती योजनायें भी लाई गई तंथा इन पर कार्य किया गया । जैसे ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड , उत्तर साक्षरता , जन शिक्षण निलायम अनौपचारिक शिक्षा , शिक्षकर्मी परियोजना तथा लोक जुम्बिश परियोजना आदि । लेकिन यह कटु यथार्थ है कि विभिन्न परियोजनाओं योजनाओं के बनने , क्रियानिवत होने तथा समय–समय पर अभियान चलाने के उपरान्त भी हम इस संविधान प्रदत्त अधिकार यथा " सबकों शिक्षा " के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके है । जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि , निर्धनता , अभिभावकों की अशिक्षा तथा राज्य का आर्थिक पिछड़ा पन , शैक्षिक असुविधा इस समस्या के मुख्य कारक रहे है । किन्तु इन सब दुविधाओं को दृष्टिगत रखकर हम और अधिक समय तक इस राष्ट्रीय लक्ष्य उपलब्धि को लम्बेत नहीं रख सकते । अतः सर्व शिक्षा अभियान की परिकल्पना की गई है ।

4.2 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :–

- औपचारिक विद्यालयों / वैकल्पिक विद्यालयों एवं राजीव गॉधी पाठशालों का सुदृढ़ीकरण ।
- 6–14 आयुवर्ग के सभी शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं का नामांकन एवं जुडाव , सन् 2003 तक सुनिश्चित करना ।
- न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति तथा सबको समान एवं निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति सुनिश्चित करना ।
- जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक पाठ्यक्रम के निर्माण एवं आनन्ददायी वातावरण में शिक्षा देने पर विशेष बल ।

- सन् 2010 तक जिले के सभी बच्चें आठ वी कक्षा तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करें , यह सुनिश्चित करना तथा विद्यालयों में ठहराव दर को 100% करना।

- 2010 तक शिक्षा बीच में छोड़ देने वाले बच्चों की दर शून्य पर लाना (पलायन दर शून्य करना) ।

- सकल नामांकन दर को सन् 2007 तक 100 % करना ।

- शालाओं की मरम्मत , प्राथमिक और उच्च प्राथमिक) एवं जरूरतमन्द स्कूलों मे शौचालय एवं शुद्ध पेयजल तथा चार दीवारी की सुविधाऐं उपलब्ध कराना ।

- जन सहभागिता द्वारा भौतिक एवं अकादमिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाना।

4.3 जिला स्तर पर निर्धारित लक्ष्य :–

- वर्ष 2003 तक जिले के सभी विकास खण्ड़ों के तथा नगरीय क्षेत्रों के 6–14 आयुवर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को निकटवर्ती प्राथमिक , उच्च प्राथमिक, वैकल्पिक , शिक्षाकर्मी राजीव गॉधी पाठशालाओं में प्रवेश दिलाना ।

- सामान्य वर्ग के अलावा विशेष वर्ग यथा दलित वर्ग , शारीरिक एवं मानसिक विकलांग , बालश्रमिक , घुमन्तु जातियॉ , जैसे गाडिया लुहारों , बनबागरियों के बालकों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना ।

- औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से किन्ही विशेष कारणों से वंचित बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष व्यवस्था करना तथा इन्हें गुणवता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना ।

- शाला से वंचित तथा बीच में ही शाला छोड़ देने वाली बालिकाओं को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना ।

- विद्यालयों में पर्याप्त भौतिक सुविधायें यथा – कक्षा–कक्ष , शौचालय , पेयजल , एवं चार दीवारी का निर्माण कराना ।

- खेल एवं किया आधारित शिक्षण तथा जीवनोपयोगी शिक्षा एवं स्थानीय आवश्यकताओं हेतु संसाधन उपलब्ध कराना ।

- बालकों को दरी पट्टी तथा विद्यालयों को फर्नीचर एवं अन्य शैक्षिक उपकरण उपलब्ध कराना ।

- शिक्षा की उपयोगिता तथा गुणवता में वृद्धि करने हेतु शिक्षकों को बौद्धिक तथा मानसिक सम्बलन प्रदान करने एवं व्यवसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु प्रभावी एवं दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरण की व्यवस्था करना ।

- बालकों के न्यूनतम अधिगम स्तर (एम.एल.एल.) में वृद्धि करने हेतु पाठ्यक्रम तैयार करना तथा उसके अनुरूप शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रेरित करना ।

- विद्यालयों के प्रबंधन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना ।

4.3.1 सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य हेतु पहुँच :–

- जिले के ग्रमीण क्षैत्र में प्रत्येक 3 कि. मी. की परिधि में एवं 500 तक की आबादी वाले ग्रामों में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मौजूदा प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय हो, इसको ध्यान में रखते हुए जिले में कुल 538 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान है ।

- 2001 की जनसंख्या के अनुसार जिले में कुल 354 प्राथमिक विद्यालय तक की भी सुविधा से वंचित गॉवों /ढ़ाणियों /मगरों तथा वासस्थानों में उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जिले में डी.पी.ई.पी. द्वारा वर्तमान में संचालित किए जा रहे

170 वैकल्पिक विद्यालयों को औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत किए जाने का प्रावधान है ।

- दूर दराज के क्षैत्र जहां कोई सरकारी नियमानुसार विद्यालय नहीं खोले जा सकते ऐसे स्थानों में 6 घंटे के वैकल्पिक विद्यालय /ब्रिज कोर्स खोले जाने की व्यवस्था करना ।

- बाल श्रमिकों एवं पलायल करने वाले बालक बालिकाओं के लिए आवासीय ब्रिज कोर्स की व्यवस्था करना ।

4.4.1 नामांकन :–

जिले में नामांकन सबंधी समस्या एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत रणनीति निम्न प्रकार है :–

क.सं.	समस्या	रणनीति
4.4.1.1	सामाजिक पिछड़ापन एवं निर्धनता	जिले में निर्धन एवं पिछडे लोगों में शिक्षा के प्रति अरूचि है । ग्राम शिक्षा समितियों / विद्यालय प्रबंध समितियों की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से दलित तथा पिछड़ों वर्गो में शिक्षा के प्रति रूचि उत्पन्न की जायेगी , तथा पोषाहार , छात्रवृति एवं निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवायें जाने का प्रस्ताव है ।
4.4.1.2	गरीबों / अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति की बालिकाओं के प्रवेश की समस्या	संकुलों / विद्यालयों में महिला बैठके आयोजित करने एवं स्थानीय पढ़ी लिखी महिलाओं के माध्यम से गरीब एवं विशेष रूप से अनुसुचित जाति व अनु सुचित जनजाति की बालिकाओं को उत्साहित कर जागरूक

		किया जायेगा एवं प्रत्येक गॉव / ढाणी में शिक्षित महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के समूह गठित किए जायेगे ।
4.4.1.3	अभिभावकों के मजदूरी पर जाने के बाद में बालक /बालिकाओं द्वारा घर का कामकाज संभालने की समस्या	घरेलू कार्यो में संलग्न बालक /बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है ।
4.4.1.4	बालक बालिकाओं का घरेलू व्यवसाओं में संलग्नता	सूक्ष्म नियोजन एवं शिक्षा आपके द्वार सर्वेक्षण के आधार पर कामकाजी बच्चों के लिए उनके नजदीक वैकल्पिक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव ।
4.4.1.5	धार्मिक अवरोध	प्रायः मुस्लिम समुदाय की छात्र / छात्राएं मदरसा की शिक्षा तक सीमित रह जाते हैं । इस प्रकार के धार्मिक अवरोध को दूर करने के लिए इस समुदाय में जन जागरण किया जाकर उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रस्ताव है ।

4.4.2 ठहराव :–

जिले में प्रारम्भिक शिक्षा में बालकों के ठहराव की स्थिति काफी कमजोर है । प्राप्त आकड़ो के अनुसार यह दर 22.63 प्रतिशत है । जिसे संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। सर्व शिक्षा अभियान में वर्णित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत प्राप्ति हेतु एवं छात्रों के ठहराव में उक्तानुसार आ रही निम्नलिखित बाधाओं के लिए उल्लेखित उपाय किए जाने का प्रस्ताव है :–

क.सं.	समस्या	रणनीति
4.4.2.1	विद्यालय शिक्षा के प्रति अरूचि के कारण शाला त्याग करने की समस्या	डीपीईपी. में आनन्ददायी शिक्षण एवं आकर्षित शिक्षण सामग्री तथा घूघरी कार्यक्रम के माध्यम से इस समस्या का कुछ हद तक समाधान हुआ है । तथा सर्व शिक्षा अभियान के दौरान नवीन पाठ्य वस्तु तथा क्रिया आधारित शिक्षण तकनिक के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का

		प्रस्ताव है ।
4.4.2.2	छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद भी न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नहीं करने के कारण शाला त्याग की समस्या	प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवता में वृद्धि के लिए अध्यापकों के प्रेरण अभिनवकरण पाठ्य वस्तु आधारित प्रशिक्षण कराए जाने का प्रस्ताव है । ताकि छात्रों के न्यूनतम अधिगम स्तर में वृद्धि की जा सके ।
4.4.2.3	विद्यालयों में भौतिक संसाधनों का अभाव एवं पाठ्य वस्तु के अरूचि पूर्ण एवं अनुपादेय होने के कारण अभिभावकों में विश्वसनियता के अभाव से शाला त्याग की समस्या	प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक संसाधन एवं रूचि पूर्ण पाठ्य वस्तु का निर्माण हेतु व्यवसाय एवं कम्प्यूटर शिक्षा के समावेश का प्रस्ताव है तथा शिक्षा की उपादेयता के प्रति जनता एवं अभिभावकों में विश्वसनीयता लाकर शाला त्याग की समस्या के शत् प्रतिशत निवारण का प्रस्ताव है ।
4.4.2.4	विद्यालय में आधारभूत सुविधा की कमी के कारण एवं बालकों के पिछड़ेपन के कारण अभिभावकों में शिक्षा के प्रति अरूचि के चलते पलायन	विद्यालय में छात्र /छात्राएं बैठने के लिए बोरियां लेकर न आये तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र जमीन पर बैठने में असुविधा महसूस करते है । इस लिए प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त टाट–पट्टी तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में डेस्क–बेन्च की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
4.4.2.4	शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता एवं क्षमता तथा व्यवहार कुशलता में ह्रास के कारण बालकों का विद्यालय छोडने की समस्या	शिक्षकों में छात्रों के प्रति अपनत्व एवं लगाव की भावना जागृत करने हेतु संचेतना /विपयशना / प्रेक्षा एवं ध्यान के प्रशिक्षण नैतिक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यो के प्रति समर्पण शैक्षिक योग्यता के मूल्यांकन तथा उदासीन शिक्षकों के लिए पुरस्कार / दण्ड की व्यवस्था का प्रस्ताव है ।
4.4.2.5	सक्षम निरीक्षण एवं परिवीक्षण एवं	सक्षम निरीक्षण एवं परिवीक्षण के अभाव में

	सम्बलन की कमी के कारण बालकों के पलायन की समस्या	शिक्षकों में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता व्याप्त है । जिसके कारण शिक्षकों ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी है । इसके लिए स्थानीय स्तर पर तथा संकुल स्तर पर प्रभावी संबलन निरीक्षण परिविक्षण टीम गठित की जाकर शिक्षक की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर बालकों के पलायन को रोकने का प्रस्ताव है ।

4.4.3 गुणवता :–

जिले में गुणवता पूर्ण शिक्षा में अभिवृद्धि हेतु निम्न प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान के दौरान अंगीकार किए जाने का प्रस्ताव है ।

क्र.सं.	समस्या	रणनीति
4:4.3.1	छात्र संख्या की वृद्धि के फलस्वरूव अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य निष्प्रभावी होने की समस्या	छात्र–अध्यापक अनुपात बनायें रखने के लिए आगामी आठ वर्षो में कुल 1816 अतिरिक्त अध्यापक/पैराटीचर की व्यवस्था करनें का प्रस्ताव है ।
4.4.3.2	उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयनुसार शिक्षकों की कमी	सत्र 2001–02 में जिले के अधिकांश उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयानुसार अध्यापकों की नियुक्ति समानीकरण की प्रकिया के तहत की गई थी परन्तु अभी भी अधिकांश विद्यालयों में विषय अध्यापकों की कमी महसूस की जा रही है । अतः सर्व शिक्षा अभियान में कुछ अध्यापकों की योग्यताओं में वृद्धि को प्रोत्साहन देने हेतु नियमों में शिथिलता किए जाने एवं योग्य स्नात्तक एवं स्नातकोत्तर पैराटीचर्स की मानदेय आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव है ।
4.4.3.3	अध्यापकों को शिक्षण कार्य के अलावा अन्य विभागीय कार्यो में लगाया जाना ।	निर्वाचन एवं जनगणना दो प्रमुख राष्ट्रीय कार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई भी विभागीय

		कार्य अध्यापकों द्वारा नही करवाया जाए , ऐसा सुनिश्चित किया जाऐगा । सूचना संकलन का कार्य संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी स्वयं विद्यालयों में जाकर संकलित करें तथा ब्लॉक स्तर पर प्रेषित करें । निरीक्षण एवं परिविक्षण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाऐं , कि अध्यापक सप्ताह में कितने कालांश का कक्षा कक्ष में पढ़ाई करवाते है । तथा उनका वार्षिक प्रतिवेदन भी इसी आधार पर तैयार किया जाए । इस हेतु परिविक्षण अधिकारियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है ।
4.4.3.4	अध्यापक / अभिभावक सामंजस्य की कमी	अध्यापक/ अभिभावकों की विद्यालयों में त्रैमासिक बैठकें आयोजित कर उनमें छात्रों की शैक्षिक योग्यता एवं उनके कियाकलापों की जानकारी देने का प्रस्ताव है । विशेष रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यह नितान्त आवश्यक है ।
4.4.3.5	सतत मूल्यांकन का अभाव	शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए सतत मूल्यांकन की प्रकिया अति महत्वपूर्ण है । कक्षा 3 से 8 तक सभी कक्षाओं में मासिक टेस्ट को प्रभावी बनाया जाकर अर्द्ध–वार्षिक परीक्षा के द्वारा सतत मूल्यांकन का प्रस्ताव है । छात्रों में प्रतिस्पर्द्धा जागृत करने के लिए कक्षा में प्रथम , द्वितिय , तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों द्वारा पुरस्कृत किये जाने का प्रस्ताव है ।
4.4.3.6	सेवारत शिक्षकों में सेवारत प्रशिक्षण का अभाव एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय	सेवारत शिक्षकों में पाठ्य वस्तु आधारित शिक्षण प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था तथा

	रूचिपूर्ण बालकों के सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उनके समुचित उपयोग का अभाव	अध्यापकों द्वारा बालकों के सहयोग से सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उसके समुचित प्रयोग की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के दौरान व्यस्था किए जाने का प्रस्ताव है ।

अध्याय 5

पहुंच एवं ठहराव

5.1 भूमिका :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सन् 2003 तक जिले के सभी 6–14 वर्ष तक के बच्चों को नामांकित करने का है । इसके लिए शिक्षा गारंटी कार्यक्रम एवं वंचित वर्ग हेतु वैकल्पिक शिक्षा योजना की क्रियान्विति करने का प्रावधान रखा गया है। साथ–साथ ठहराव हेतु भी विद्यालयों में सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों का समावेश करने , विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को इसी अभियान के अर्न्तगत पूरा किया जाने का प्रावधान है । सुविधाओं की कमी को भी दूर करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के नियोजन में प्रावधान किया गया है ।

5.2 पहुंच दर :–

वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले के कुल 2068 ग्रामों/वासस्थानों में से 354 ग्रामों/वासस्थानों में प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

उपरोक्तानुसार जिले की सकल पहुंच दर को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सन् 2007 तक शत्–प्रतिशत सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

5.3 पहुंच का विस्तार :–

सन् 1998 में बेस लाईन सर्व के अनुसार जिले के कहीं गांव /ढाणी /मांजरे प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षण सुविधा से वंचित पाए गए। सन् 2001 की जनगणना मुताबिक जिले में सभी प्रकार के प्रबन्धन के कुल 3889 उच्च प्राथमिक / प्राथमिक विद्यालय /राजीव गॉधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं या शिक्षा कर्मी विद्यालय है । इसके बावजूद भी डायस 2001–02 की रिपोर्ट अनुसार जिले के ऐसे

शिक्षा अभियान में इस पहुँच को आसान बनाने के लिए जिले के प्रत्येक 2 प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान किया गया है । इस के अनुसार जिले में वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक कुल 184 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा । इस तरह क्रमोन्नत किये गये प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को शाला सुविधा हेतु रुपये 50000/– अनुदान राशि प्रतिवर्ष के हिसाब से दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।

5.4 ई.जी.एस. एवं वैकल्पिक शिक्षा में संचालित विद्यालयों को औपचारिक प्रा.वि. में क्रमोन्नत किया जाना :–

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले में कुल 1171 राजीव गॉधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं , डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 180 वैकल्पिक विद्यालय संचालित किए जा रहे है । इन विद्यालयों मे से अगस्त 2002 तक कक्षा वार नामांकन की स्थिति के अनुसार ऐसे विद्यालय जिनमें 50 से 100 तक छात्र निरन्तर अध्ययनरत्त है तथा वे 2 साल से बराबर संचालित हो रहे है , उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत औपचारिक प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने का प्रस्ताव है । वर्ष 2002–03 से 2006–07 तक ऐसे 623 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाऐगा । इस तरह क्रमोन्नत किये गये प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को शाला सुविधा हेतु रुपये 10000/– अनुदान राशि प्रतिवर्ष के हिसाब से दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। इन सभी विद्यालयों में चूंकि एकल पैराटीचर ही कार्यरत है एवं यह घटक भी विद्यालयों में ठहराव दर को प्रभावित करता है, अतः इनमें जिले के छात्र–शिक्षक अनुपात (40:1) के आधार पर अतिरिक्त पैराटीचरों की समुचित व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करवाए जाने का प्रावधान है ।

5.5 शिक्षा गारंटी कार्यक्रम :–

सर्व शिक्षा अभ्यिान में ऐसे वासस्थानों में जहॉ 1 कि.मी. की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है , वहॉ 6–8 वर्ग के 15–20 बालकों की उपलब्धता पर कक्षा 1 व 2 के लिए ई.जी.एस. केन्द्र (शिक्षा गारन्टी योजना) खोले जायेंगे । इन केन्द्रों के लिए शिक्षक की नियुक्ति सामुदायिक आधार पर की जाऐगी । उस शिक्षक को केन्द्र के उत्तीर्ण छात्र /छात्रा का प्रवेश औपचारिक विद्यालय में कराना आवश्यक होगा यह

प्रवेश किसी भी समय विद्यालय में कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी । इन केन्द्रों का नियोजन जिले की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर किया गया है ।

उक्त योजना के तहत जिला नागौर के ग्रामीण आंचल में माइक्रोप्लानिंग के आधार पर कुल 200 शिक्षा गारन्टी योजना केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है । इन केन्द्रो का प्रस्ताव पूर्ण रूप से उन वासस्थानों में किया गया है , जहॉ कक्षा 1 और 2 के लिए 15–20 बालकों की उपलब्धता रहेगी ।

5.6 वैकल्पिक शिक्षा योजना :–

यहॉ यह भी तथ्य ध्यान देने योग्य है कि नागौर जिला भले ही औधोगिक जिला नही है , फिर भी यहॉ देश भर से घुमन्तू बच्चें वर्ष भर आते रहते है, जो होटलों अथवा दुकानों पर कार्य करते हैं अथवा अपराधी तत्वों के साथ होकर छोटे–मोटे अपराध में लिप्त हो जाते है। काम की तलाश में आने वालें व्यक्तियों के परिवारों के बच्चें भी सड़कों एवं बस स्टेशनों अथवा रेलवे स्टेशनों पर भीख मॉगने , जूता पालिश करने , मूंगफली बेचने आदि कार्यो में लिप्त है तथा बाद में इस प्रकार के बच्चें बड़े होने पर अपराधी प्रवृति के हो जाते है , जो समाज के लिए कष्ट कारक बन जाते है ।

ड्राप आउट होने के फलस्वरूप तथा अधिक आयु हो जाने से मनोवैज्ञानिक दबाब के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चें विशेष कर कामकाजी बालिकायें तथा बालश्रमिकों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों , अल्पकालीन, ग्रीष्मकालीन शिविरों तथा दीर्धकालीन शिविरों , ब्रिज कोर्स शिविरों का आयोजन वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाये जा रहे मदरसों में बालक / बालिकाओं को उनकी धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त औपचारिक प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम लागू कर उन्हें आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाकर उनका शिक्षा से जुड़ाव सुनिश्चित किया जाऐगा । इसके साथ साथ ऐसे स्थान जहॉ पर 6–14 वर्ग के ड्राप आउट एवं विद्यालय न जाने वाले कम से कम 20 बच्चें उपलब्ध होंगे , वहॉ नवाचार एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र संचालित किये जायेगें । इन केन्द्रों में बच्चों का प्रवेश किसी भी समय कराया जा सकता है । इन केन्द्रों के माध्यम से इन वर्गो के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न कक्षाओं की पढ़ाई पूर्ण करवाई जाकर

उन्हें औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा की किसी विद्यालय में उपयुक्त कक्षा में किसी भी समय में प्रवेश कराया जा सकेगा । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निकट के प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की जायेगी । यह इस योजना का महत्वपूर्ण अंग है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि केन्द्र की शिक्षा समाप्त करने के बाद छात्र पुनः अपने पुराने परिवेश में वापस न हो जाय ।

उक्त केन्द्रो की संचालन अवधि 4 घण्टे दिन के समय होगी । यथा सम्भव वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा ही शिक्षण कार्य सम्पादित कराया जायेगा और उन्हें रू. 1000/– प्रतिमाह के आधार पर मानदेय प्रदान किया जायेगा । इन अनुदेशकों के लिए शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व 30 दिन के पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गयी है ।

5.7 विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता :–

जिले में छात्र–शिक्षक अनुपात को 40 : 1 के आधार पर वर्तमान में कुल 199 अतिक्ति पैराटीचर वर्ष 2003–04 में लगाए जा कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार शिक्षकों की कमी की समुचित पूर्ति किए जाने का प्रावधान है ।

5.8 जिले की ठहराव दर की स्थिति :–

सारणी संख्या 5.2 में जिलें की ब्लॉक वार ठहराव दर की स्थिति प्रस्तुत की गई है । जिले की समेकित ठहराव दर इसके अनुरूप 22.63 प्रतिशत दृष्टिगत हो रही है । सर्वे शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के लिए विद्यालयों में शत् प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने हेतु नियोजन किया गया है ।

5.9 सामुदायिक गतिशीलता :–

जिले के वर्तमान नामांकन स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए सन् 2003 तक सभी अनामांकितों को नामांकित करने का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखा गया है । इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु सामुदायिक सहभागिता का होना अत्यंत आवश्यक है । इस हेतु ग्राम स्तर पर प्रत्येक ग्राम के लिए रू. 5000/– प्रति वर्ष की दर से राशि का प्रावधान रखा गया है । इस राशि से समाज में जन–जागरण हेतु बाल–मेला

कला–जत्था , महिला मिटिंग , पंचायती राज सदस्यों / विद्यालय प्रबन्ध समिति सदस्यों का प्रशिक्षण , पितृ –शिक्षक संगठन, मातृ–शिक्षक संगठन एवं प्रभात फेरी का आयोजन इत्यादि गतिविधियॉ विद्यालय स्तर से ही सम्पन्न ही जाकर सन् 2003 तक शत्–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है ।

5.10 व्यावसायिक – शिक्षा :–

विद्यालयों में ड्रॉप–आऊट कों रोकने हेतु जिले में नवाचार के तौर पर बालक / बालिकाओं हेतु व्यावसायिक–शिक्षा दिए जाने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जा रहा है । कुछ चुनिंदा पाठयक्रम यथा चर्म कार्य , बढाईगिरी , सिलाई ,आरी–तारी एवं कम्प्यूटर शिक्षा आदि को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुरू किए जाने का सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्ताव है । इन पाठयक्रमों हेतु दक्ष प्रशिक्षक का चयन समुदाय में से ही एवं जन सहभागिता से किया जाएगा तथा इन पाठयक्रमों से संबंधित आवश्यक सामग्री विद्यालयों में उपलब्ध करवाई जाएगी । यह पाठयक्रम शुरू करने से विशेषतः अल्प संख्यक समुदाय की छात्राओं को विद्यालयों से निश्चित तौर पर जोड़ा जा सकेगा ।

5.11 पूर्व प्राथमिक शिक्षा :–

जिले में संचालित ऑगनवाड़ी केन्द्रों की अनुदेशिकाओं तथा सहायिकाओं कों डीपीईपी. के द्वारा अतिरिक्त मानदेय और प्रतिवर्ष छः दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण तथा केन्द्रों के लिए खेल सामग्री के उपकरण प्रदान किए जा रहे है । जिले में इस कार्यक्रम से छात्रों का विद्यालयों के प्रति आकर्षण बढ़ा है । इसी को सर्व शिक्षा अभियान में भी जारी रखने का प्रावधान किया जा रहा है । इसके अन्तरर्गत जिले में वर्ष 2002–03 से वर्ष 2005–06 तक कुल 150 शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जाऐंगे।

5.12 शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना / सुदृढीकरण :–

वर्तमान में इस जिले में डीपीईपी. के अन्तर्गत कुल 40 शिशु शिक्षा केन्द्र (ई.सी.ई.) संचालित किए जा रहे है । इन केन्द्रों के अलावा सर्व शिक्षा अभियान में

वर्तमान में इस जिले में डीपीईपी. के अन्तर्गत कुल 40 शिशु शिक्षा केन्द्र (ई.सी.ई.) संचालित किए जा रहे है । इन केन्द्रों के अलावा सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित 150 नये ई.सी.ई. केन्द्रों को इस परियोजना के अन्तर्गत और अधिक सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव है । जिसमें अन्तर्गत इन केन्द्रों पर कार्यरत् अनुदेशिकाओं को 2 घण्टे अतिरिक्त कार्य करने हेतु पृथक से मानदेय दिया जायेगा तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री (खिलौने इत्यादी) से सुसज्जित किया जायेगा । इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण केन्द्र पर समस्त ऑगनवाडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शैक्षिक पक्ष का भी समावेश किया जायेगा ।

5.13 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा :–

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा समय की भावी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में प्रत्येक ब्लॉक के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डाईट स्तर पर आयोजित किया जायेगा । इस प्रशिक्षण के लिए डाईट में आवश्यक सुविधाएं यथा–उपकरण एवं तकनिकी स्टॉफ इत्यादि इस परियोजना के द्वारा उपलब्ध करवाई जाऐगी । प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डाईट के सहयोग से किया जायेगा । इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे । इस कार्यकम का अनुश्रवण डाईट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यकम की सफलता के आधार पर ही आगामी वर्षो में जिले के 60 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रारम्भ किए जाने का प्रावधान किया गया है ।

अध्याय 6

गुणवता–शिक्षा

6.1 भूमिका :–

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु इस जिले में डीपीईपी. कार्यक्रम के द्वारा भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है । इस हेतु जिला स्तर से शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग–समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है । इस कार्य में जिले में स्थापित 11 बी.आर.सी. तथा 140 सी. आर. सी. केन्द्रो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इन कार्यालयों द्वारा संस्थागत क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों ,ई.सी.ई. अनुदेशिकाओं /सहायिकाओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया है । चूंकि विद्यालयों में छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए गुणात्मक शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है , अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी आगामी वर्षो में गुणात्मक शिक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियॉ सम्पादित करने का प्रावधान रखा जा रहा है ।

6.2 शिक्षण अधिगम निर्माण :–

डीपीईपी. के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रू. 500/– की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में जिले के प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई थी । इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के लिए उनका अभिमुखीकरण हेतु सी.आर.सी./बी.आर.सी. तथा जिला स्तर पर टी.एल.एम. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया । जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा–कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा मिला । इसके अलावा शालाओं में छात्र हितार्थ उपयोग हेतु रू. 2000/– (विद्यालय फेसिलिटी ग्रांट) का भी डीपीईपी. द्वारा अनुदान दिया गया था । इसी सुविधा को सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखने का प्रावधान किया गया है ।

जोड़ने के लिए उन्हें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किए जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में रखा जा रहा है । हालांकि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में यह सुविधा भी उपरोक्त वर्गो के बालक/बालिकओं को प्रदान की जा रही है । लेकिन उपयुक्त समन्वयन के अभाव में जरूरत मंद छात्रों तक यह सुविधा नही पहुंच रही है । अतः जिले के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाकर जरूरत मंदों को उपरोक्त सुविधा मुहैया करवाई जाऐगी । इस मद पर इस योजना में 36.87 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

6.4 पुस्तकालय अनुदान :–

बेसलाईन सर्वेक्षण 1998 की रिपोर्ट अनुसार जिले के 40 % से भी कम विद्यालयों में पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध नहीं है । शिक्षण कार्य में गुणवता , विद्यालयों में छात्रों के ठहराव के लिए पुस्तकालय/वाचनालय की सुविधा भी अति–आवश्यक मानी गई है । अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के स्वाध्याय एवं ज्ञानवर्द्धन हेतु उनकी अभिरूचि के अनुसार मनोरंजक एवं ज्ञानवर्द्धन में सहायक पुस्तकें , पुस्तकालय के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान रखा गया है । इस हेतु प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय को वर्ष 2002–03 में 1500/– एवं इसके पश्चात् वर्ष 2003–04 , वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 के लिए रू. 2000/– प्रति वर्ष की दर से प्रति विद्यालय हेतु पुस्तकालय अनुदान दिए जाने का प्रावधान रखा गया है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक वाचनालय खोले जाने का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए रु 10000/– प्रतिवर्ष की दर से व्यय किये जाने प्रस्तावित है ।

6.5 अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन :–

जिले में डीपीईपी. द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अध्ययन से पता चलता है कि जिले में 62% छात्रों का गणित , 49.8% छात्रों का विज्ञान में तथा 71.6% छात्रों का अंग्रेजी में अधिगम निम्न स्तर का पाया गया है । विद्यालयों से "ड्राप–आऊट" होने का मुख्य कारण इसे भी माना जाता है । चूंकि सर्व शिक्षा अभियान में मुख्य लक्ष्य सन् 2007 तक शत प्रतिशत ठहराव दर सुनिश्चित करने का रखा गया है । अतः इसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इन तीनों विषयों के लिए पृथक से " समस्या कक्षाऐं " विद्यालयों के अतिरिक्त समय में आयोजित किए जाने का

प्रावधान रखा गया है । इससे छात्रों की इन विषयों में व्याप्त कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी । इस हेतु प्रति विषय रू. 1000/– प्रतिमाह के हिसाब से रू . 3000/– तीन विषयों के लिए प्रति विद्यालय अधिकतम चार माह हेतु निर्धारित किए गए है ।

6.6 प्रशिक्षण :–

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापुरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । इस परियोजना में 6–14 वर्ष की आयु–वर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है :–

1. 6–14 वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल , ई.जी.एस. केन्द्र , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा ।

2. सभी बच्चें पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पुरी करें , यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।

3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, , यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा ।

4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो , प्रदान की जायेगी ।

5. प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं , समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी । सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए प्रारम्भिक शिक्षा से जुड़े जिले के समस्त सेवारत शिक्षकों का प्रथम वर्ष में 9 दिवसीय अभिनवन करण प्रशिक्षण आयोजित किया जाऐगा । इसके पश्चात् आगामी वर्षो में उन्हें 3–3 दिवसों के पाठ्यवस्तु आधारित प्रशिक्षण प्रदान किए जाऐंगे । साथ ही 8 बार उनके साथ बैठके आयोजित की जाकर बेहतर शैक्षिक नियोजन एवं अध्यापन कार्य में आ रही दुविधाओं एवं उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा की जाएगी । इसके अलावा डाईट के संकाय सदस्यों , जिला परियोजना कार्यालय के सदस्यों , तथा ग्राम पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डाईट स्तर से आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी । इन प्रशिक्षणों में मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों , बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों , शिक्षकों–विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रकिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों के प्रति विशेष बल दिया जाऐगा जिससे उपरोक्त सभी की विचार–अवधारणाएं समान बन सकें । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों , वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथाः बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी , वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना , प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे । इन प्रशिक्षणों पर प्रति शिक्षक रू. 70/– प्रतिदिन के हिसाब से व्यय होने का अनुमान है ।

इनके अलावा विद्यालयों में नियोजित पैराटीचर्स को 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में दिए जाने का प्रावधान है तथा अप्रशिक्षित पैराटीचर्स के लिए 60 दिवसीय आधार भूत प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान इस परियोजना में किया गया है। ये प्रशिक्षण डाईट के माध्यम से दिये जाऐगें । और आगामी वर्षो में उन्हें 30 दिवसीय तथा 10 दिवसीय अभिनवन प्रशिक्षण दिए जाने का प्रावधान भी इस परियोजना में किया गया है । इन प्रशिक्षणों पर भी प्रति व्यक्ति रू. 70/– प्रतिदिन की दर से व्यय होने का अनुमान है ।

6.7 डाईट का सुदृढीकरण :–

जिले की डाईट संस्था कुचामन सिटी 150 किमी. की दूरी पर स्थित है एवं 1991–92 से कार्यरत है डाईट का वर्तमान प्रबन्धन निम्नानुसार सरणी में प्रस्तुत है :–

सारणी 6.8

क.सं.	विवरण	स्वीकृत पद	वेतनमान
1	उपनिदेशक (प्राचार्य)	1	10650–15850
2	उप प्राचार्य	1	10000–15200
3	व्याख्याता (वरिष्ठ)	5	9000–14400
4	लेखाकार	1	5500–9000
5	कार्यालय अधीक्षक	1	5500–9000
6	स्टेनो ग्राफर	1	5500–9000
7	सांख्यिकी निरीक्षक	1	5000–8000
8	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	4000–6000
9	प्रयोगशाला सहायक	1	5000–8000
10	कार्यशाला सहायक	1	5000–8000
11	वरिष्ठ लिपिक	1	4000–6000
12	कनिष्ठ लिपिक	7	3050–4590
13	सहायक कर्मचारी	8	2500–3200

डाईट की भूमिका शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों , गुणात्मक शिक्षण एवं मॉनीटरिंग हेतु महत्वपूर्ण होती है । अतः सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम , पैराटीचर्स आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम , ब्लॉक संदर्भ सहयोगियों तथा संकुल संदर्भ सहयोगियों का अभिनवन प्रशिक्षण एवं

12	कनिष्ठ लिपिक	7	3050–4590
13	सहायक कर्मचारी	8	2500–3200

डाईट की भूमिका शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रमों , गुणात्मक शिक्षण एवं मॉनीटरिंग हेतु महत्वपूर्ण होती है । अतः सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम , पैराटीचर्स आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम , ब्लॉक संदर्भ सहयोगियों तथा संकुल संदर्भ सहयोगियों का अभिनवन प्रशिक्षण एवं लिंग–संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन तथा इनका प्रबंधन डाईट के माध्यम से ही किए जाने का प्रावाधान है ।

अध्याय 7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका :–

जिले में नामांकन की शत्–प्रतिशत उपलब्धि के लिए समाज के कुछ विशेष वर्गो के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है । इनमें छात्राएँ , धुमक्कड़ जातियों के बालक/बालिकाएँ एवं विकलांग छात्र प्रमुख है । इन सभी वर्गों की अपनी–अपनी सामाजिक , आर्थिक एवं शारीरिक समस्याओं के कारण इन वर्गो के अधिकांश छात्र/छात्राएं तथा इनके अभिभावक अध्ययन के लिए चाहते हुए भी इन्हें शाला में प्रवेश नही दिला पाते है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे वर्गो के लिए विशेष–पैकेजों का प्रावधान किया जा रहा है ।

7.2 लिंग संवेदनशीलता :–

समाज में महिला–पुरूष के प्रति भेदभाव के कारण जिले की महिला साक्षरता दर आज भी शोचनीय स्तर पर है । इसके निम्न कारण है :–

- बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें भेजने में कठिनाई का अनुभव करते है , क्योंकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय दूर–दूर स्थित है । प्रायः असुरक्षा के कारण ही कक्षा 6 , 7 व 8 की स्कूली शिक्षा से बालिकायें वंचित हो जाती है ।

- इस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी महिलाओं की शिक्षा 40.45% तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं की शिक्षा का प्रतिशत 3.91% है । ऐसी स्थिति अभिभावकों में बालिकाओं की शिक्षा का महत्व नहीं समझने से हुई है । आज भी अभिभावक अपने बालकों को तो स्कूल भेजने में रूचि लेते

- कुछ समुदाय विशेष (मुस्लिम) के परिवारों की बालिकायें मदरसों की दीनी शिक्षा तक ही सीमित रह जाती है । उन परिवारों के अनपढ़ अभिभावक बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को धर्म विरूद्ध मानते है साथ ही साथ पर्दाप्रथा के कारण इस समुदाय में बालिकाओं को सामान्यतः स्कूलों में भेजने से कतराते है ।

- ग्रामीण क्षेत्र में अब भी अज्ञानता के कारण छोटी उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती है । निर्धन तथा अशिक्षित परिवारों में इस प्रथा की बाहुल्यता है । इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों के कारण बालिकायें स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है ।

- व्यावसायिक शिक्षा के अभाव तथा बेराजगारी को देखते हुए प्रायः अभिभावक यह समझते है कि बालिकाओं की शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। और स्कूल भेजने की अपेक्षा वे बालिकाओं को घर के काम काज तथा पारिवारिक पेशें में ही उन्हें व्यस्त कर देना चाहते है ।

- डीपीईपी. के क्रियान्वयन के उपरान्त भी कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय , पेयजल , चार दीवारी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में भी लड़कियॉ बड़ी होने पर शाला का परित्याग कर देती है ।

7.3 बिज कोर्स :–

सड़क , प्लेटफार्म , दूकानों , घुमन्तू बच्चों , नौकरी पेशा , कुलीगिरी तथा कूड़ा बीनने वाले बच्चों जिनका वर्ग सामान्यतः 6–14 वर्ष की आयु का है , के लिए ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे । इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने का है । इस जिले में परियोजना अवधि में कुल 64 ब्रिज कोर्स संचालित किए जाने का प्रावधान है ।

इन शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की हो सकती है । इसमें बच्चों की निर्धारित संख्या 15–20 तक होगी तथा ये शिविर पूर्णतः

आवासीय होंगे । इन शिविरों में बच्चों के रहने , खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी । निर्धारित मानकों के अन्तर्गत इन शिविरो में 1 केयर टेकर , 2 पेराटीचर , 1 रसोईयां एवं 1 चौकीदार की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है । इन शिविरों का निर्धारण जिले की माइक्रोपलानिंग के आधार पर किया जायेगा ।

7.4 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा :–

भारत वर्ष की लगभग 5–10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है । शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि विभिन्न विकलांगता से ग्रसित बच्चों को विद्यालय नहीं लाया जाता । बच्चों की विकलांगता का प्रभाव जहॉ बच्चें के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है , वही परिवार एवं समुदाय को भी प्रभावित करता है । समेकित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की विकलांगता से ग्रसित कम एवं माध्यम श्रेणी के बच्चों को सामान्य प्राथमिक विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करायी जाती है । इसलिए बच्चों के विकलांगता एवं अक्षमता के सम्बन्ध में चिन्हीकरण आवश्यक है । नागौर जिले में बालगणना द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर विकलांग बच्चों की कुल संख्या 4507 है ।

7.4.1 विकलांगता का प्रकार व असेसमेन्ट :–

नागौर जिले में बाल गणना मई , जून 2001 में सम्पन्न की गयी थी । उसके आधार पर विकलांग बच्चों की कुल संख्या 4507 चिन्हित की गयी थी । आगामी वर्षो में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान यथा–दृष्टि विकलांगता , श्रवण एवं वाणी विकलांगता , अस्थि विकार विलांगता , मानसिक मन्दता , अधिगम मन्दता वाले छात्र–छात्राओं का परीक्षण डाक्टरों की एक टीम द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है । उपरोक्त विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा योजना उनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार की जायेगी व उनके लिए उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 1200/– प्रति लाभार्थी की दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ।

7.4.2 शिक्षकों का सवेदीकरण /प्रशिक्षण :–

डीपीईपी.के अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु विकसित ट्रेनिंग माड्यूलों को नागौर जिले में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अपनाया जायेगा । अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए समुदाय , परिवार एवं अध्यापकों का सवेदीकरण आवश्यक है। और संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है । अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दिखाते है, जबकि वास्तव में इन्हें सहायता की आवश्यकता होती है । उनकी समक्षताओं को और विकसित करने के लिए शिक्षकों को इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान भी इस परियोजना में रखा गया है ।

7.4.3 अध्यापकों का सेवारत् प्रशिक्षण :–

अध्यापकों के सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जाऐगा । इस हेतु प्रशिक्षण के लिए विकसित माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा :–

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन ।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना ।
- इन बच्चों को समूह शिक्षण के लिए विकसित कराना ।
- कक्षा–कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन ।
- विकलांग बच्चों , इनके अभिभावकों और, समुदाय के सदस्यों को परामर्श देना ।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना ।

7.4.4 छात्र स्वास्थय परीक्षण :–

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 6–11 आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण इस जिले में होता रहा है , जिसके उत्साहवर्धक परिणाम भी मिले है । बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से बच्चों में पनपने वाली अनेक छोटी/बड़ी बीमारियों की जानकारी उनकी प्रारम्भिक अवस्था में हो जाती है । इन

बिमारियों से प्रायः अभिभावक अनभिज्ञ रहते है , बाद में यही बीमारियॉ भयानक रूप ग्रहण कर लेती है । ऐसी स्थिति में बच्चों कै स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम अति आवश्यक है । जिला के राजकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 6–11 वर्ग के छात्र–छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से करावाया जायेगा ।

छात्र स्वास्थ्य परिक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम मुख्य चिकित्साधिकारी की देख–रेख में गठित की जायेगी । जो प्रत्येक वर्ष में एक बार 6–14 आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करेगी । स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम विद्यालय के रजिस्टर में संधारित किए जाकर चिन्हित बच्चों को स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क औषधियां एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहयोग लिया जायेगा ।

7.5 अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति /अल्प संख्यकों /निर्धनतम परिवारों के बालक/बालिकाओं हेतु शिक्षा :–

7.5.1 अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति/ निर्धनतम परिवारों के निर्धनतम परिवारों के वर्ग के जिले में कुल 3599 बालक एवं 2790 बालिकाएँ शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार विद्यालय से वंचित पाए गए है । इनके लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान तो किया ही गया है , साथ ही साथ इन छात्रों को शालाओं के प्रति आकर्षित करने हेतु एक–एक टी.एल.एम. किट जिसकी लागत रू. 100/– प्रति किट अनुमानित होगी , दिए जायेंगे । इस किट की सहायता से छात्रों की रचानात्मकता में वृद्धि हो सकेगी । इसके अलावा इस वर्ग की छात्राओं को वर्ष में दो बार निशुल्क शाला–वेशभूषा प्रदान किए जाने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा अभियान में किया गया है । वेशभूषा हेतु रू. 200/– प्रतिछात्रा , प्रतिवर्ष की दर से व्यय होने का अनुमान है ।

7.5.2 मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा से जोडने में इनकी सामाजिक स्थिति आड़े आती है । इस वर्ग की आर्थिक एवं शिक्षा के प्रति उदासीनता भी महिला अशिक्षा में सहायक है । ये वर्ग बालिकाओं को गृहकार्य में व्यस्त करने या अपने पुश्तैनी तकनीकी व्यवसाय यथा आरी–तारी , कशीदाकारी या चूड़ी उधोग से जोड़ना पसन्द करते है । या फिर मदरसों में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा तक ही उन्हें

सीमित रखते है सर्व शिक्षा अभियान में निम्न उपाय ऐसे वर्ग की बालिकाओं हेतु किए गए है :–

- महिला शिक्षा हेतु सामाजिक चेतना लाने का कार्य सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से किया जाएगा ।
- इन वर्गो से जुड़े तकनीकी व्यवसायों को विद्यालयों में पृथक से संचालित किए जाने का प्रावधान रखा गया है । ऐसे प्रत्येक विद्यालयों में प्रतिवर्ष 1000/– तक का प्रावधान इस परियोजना में रखा गया है ।
- मुस्लिमों द्वारा संचालित मदरसों को वैकल्पिक विद्यालय के रूप में मान्यता देकर उन्हें इस संबंधी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान इस परियोजना में किया गया वे जिले में ऐसे कुल 60 मदरसों को चिन्हित किए जा चुके है ।

7.6 धुमक्कड़ परिवारों के बालक/बालिकाओं हेतु शिक्षा :–

जिले में बागरिया , रेबारी , गाड़िया लुहार , साटिए तथा नायक जाति के परिवार अपने पशुधन को चराने , रोजी–रोटी कमाने हेतु वर्ष पर्यन्त एक जिले से दूसरे जिले में घूमते रहते है । इस कारण इनके बच्चों को भी इनके साथ रहना पड़ता है । फलस्वरूप शिक्षा से इनका जुड़ाव संभव नहीं हो सकता है । इन परिवारों के बालक/बालिकाओं के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में पृथक से प्रावधान रखा गया है ।

ऐसे बालकों को चिन्हित कर , जहां 10–15 बच्चें एक साथ तथा कम से कम एक माह तक उपलब्ध हो सकते है , वहॉ आवासीय ब्रिज कोर्स की स्थापना की जाएगी । यहॉ इन बच्चों को निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान से की जाने का प्रावधान है । इन सभी छात्रों को एक–एक एल.जी.सी. (लर्निंग ग्रेड कार्ड) प्रदान किए जाऐंगे जिनसे यह स्पष्ट होगा कि अमुक छात्र ने इस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है । इनको सरकार द्वारा अन्य जिलों में भी मान्यता देने हेतु निवेदन किया जाएगा । ऐसे कोर्स हेतु रू. 100/– प्रति छात्र सर्व शिक्षा अभियान से व्यय होने के अनुमान है ।

7.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा :–

हेतु निवेदन किया जाएगा । ऐसे कोर्स हेतु रू. 100/– प्रति छात्र सर्व शिक्षा अभियान से व्यय होने के अनुमान है ।

7.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा :–

जिले के विभिन्न शहरों में स्टेशनों , गलियों तथा पर्यटक स्थलों से कचरा बीनने वाले बालक/बालिकाओं एवं बचपन से ही परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण धनोपार्जन या मजदूरी में लगे बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु आवासीय /गैर–आवासीय ब्रिज कोर्स का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है । ऐसे प्रत्येक ब्रिज कोर्स हेतु 50/– प्रति छात्र प्रति वर्ष व्यय किए जाने का अनुमान है तथा इनमें भी अध्ययनरत सभी छात्रो को एक–एक टी.एल.एम. किट (100/–रू.मूल्य) का दिया जाएगा । एवं इन्हें निःशुल्क भोजन एवं आवास उपलब्ध कराए जाने का सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान रखा गया है ।

अध्याय 8

अनुसंधान मूल्यांकन ,परिवीक्षण , एवं प्रबोधन

8.1 अनुसंधान एवं मूल्यांकन :–

जिले कि परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए अनुसंधान कार्यो का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यकमों के अनुसार विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम , कक्षा शिक्षण , विद्यालय प्रबन्ध , मूल्यांकन आदि क्षैत्रो में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिपेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक है । इस हेतु शिक्षकों तथा परियोजना एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण डाईट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा । डाईट की भूमिका मुख्यतः एक्सन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन अनुसंधान परियोजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर उन्हें पूर्ण कराने की होगी ।

8.2 मूल्याकंन व्यवस्था :–

छात्रों के मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन की प्रणाली हेतु जो व्यवस्था वर्तमान में है , उचित है । किन्तु उसमे और सुधार के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा सी.आर.सी. स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर ली जावे । यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई जाऐंगी और परीक्षा के मूल्यांकन की व्यवस्था डाईट पर की जावेगी । इन परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र भी डाईट के सहयोग से बनायें जाऐगे । इसके लिए शिक्षकों को प्रथक से प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है । छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी ।

8.3 परिवीक्षण :–

अकादमिक परिवीक्षण में डाईट , बी.आर.सी. , सी.आर.सी. तथा विद्यालय स्तरीय शिक्षा समिति की समेकित भूमिका रहेगी । विद्यालय शिक्षा स्तर समिति की प्रत्येक माह में एक बैठक आयोजित की जाऐगी , जिसमें शाला में अकादमिक सुधारों संबन्धी विषयों पर चर्चा होगी । यह समिति अपनी प्रत्येक बैठक का प्रतिवेदन सी.आर.

8.4 प्रबोधन :–

सर्व शिक्षा अभियान में जन–समुदाय पर आधारित प्रबोधन तंत्र व्यवस्था है। इस अभियान में प्रबोंधन दो भागों में विभाजित है ।

1) शैक्षिक प्रबोधन सूचना तंत्र (ई.एम.आई.एस.)

2) योजना प्रबोधन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.)

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उपरोक्त तीनों सूचना तंत्रों के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर तथा आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था का समुचित प्रावधान सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन में रखा गया है।

8.4.1 शैक्षिक प्रबोधन सूचना तंत्र :–

जिले में प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रत्येक शालाओं से संबन्धित समस्त सुचनाओं को संकलित किया जायेगा । इन सभी सुचनाओं को जिला स्तर पर स्थित " डाईस सॉफ्टवेयर " (जो की " निपा " द्वारा विकसित किया गया है) में संकलित किया जाकर राज्य स्तर को प्रस्तुत किया जाऐगा। इस कार्य में नियोजित तकनिकी स्टॉफ यथा–एम.आई.एस.प्रभारी एवं उसके सहयोगी कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रदान किया जाऐगा ।

8.4.2 योजना प्रबोधन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) :–

गुणवत्ता सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य बिन्दु है। यह सूचना तंत्र कार्यक्रम की गुणवत्ता में हुए सुधार की सूचना को संकलित करने का उपयोगी सॉफ्टवेयर है । सर्व शिक्षा अभियान में सूचना प्रबन्धन तंत्र में जिले स्तर पर पांच कम्प्यूटर मय आपरेटर इंटरनेट कनेक्शन सहित , एक यू.पी.एस. दो प्रिन्टर तथा ब्लॉक स्तर पर एक कम्प्यूटर , एक प्रिन्टर की व्यवस्था की गई है । एम.आई.एस. स्टॉफ (प्रबंधन सूचना तंत्र स्टाफ) सर्व शिक्षा अभियान में प्रबंधन सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जिले स्तर पर एक प्रबन्धन सूचना तंत्र अधिकारी तथा 2 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा ब्लॉक स्तर पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था है ।

अध्याय 9

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास

9.1 भूमिका :–

प्रबंधन शब्द का संबंध केवल औद्योगिक क्षेत्र से ही नहीं वरन् शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको प्रचूर उपयोग में लाया जा रहा है । प्रबंधन लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रभावी माध्यम है । प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में बालक को पूर्णतः शिक्षार्थी के रूप में ही प्रतिस्थापित नहीं करता वरन् बालक में सद्वृतियों का विकास कर अच्छे नागरिक का निर्माण करता है । वास्तव में समुदाय भी अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करता है , ताकि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां बालक के सर्वतोन्नमुखी विकास में सहायक बन सके । प्रबंधन में तीन तथ्य महत्वपूर्ण है :–

- उद्वेश्यों का स्पष्ट निर्धारण ।
- पर्याप्त संसाधन (शिक्षक,शिक्षण विधाएं ,भौतिक संसाधन ,खेल मैदान , प्रयोगशाला , पुस्तकालय) तथा उनका उपयोग ।
- सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन। प्रबंधन न केवल उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन उपलब्ध करता है अपितु लक्ष्यों के अर्जन हेतु कार्मिकों के कार्यों का परिवीक्षण कर यथा स्थान निर्देशन व सुझाव देकर व्याप्त कमजोरियों को दूर करने का कार्य भी करता है । सर्व शिक्षा अभियान में भी विभिन्न स्तरों पर परिवीक्षण की समुचित व्यूह रचना की गई है ।

9.2. जिला स्तरीय कार्यालय पर प्रबन्धन :–

सर्व शिक्षा अभियान के सफल कियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कार्यालय में सारणी सं. 9.1 में दर्शायें अधिकारी / कर्मचारी उनके सन्मुख अंकित संख्या तथा वेतनमान में नियोजित किए जाऐंगे। ये अधिकारी या तो राजकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाऐगें अथवा संविदा पर लगाए जाऐंगे । इस परियोजना के अंतर्गत जिला परियोजना समन्वयक (जो कि इस परियोजना की सफल कियान्विती के लिए उत्तरदायी होगा) के कार्यालय एवं निवास स्थान पर टेलीफोन

एवं 1 मोबाईल फोन की व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है। जिला कार्यालय में पांच कम्पयूटर ईटरनेट कनेक्शन सहित स्थापित किये जाऐगें ।

सारणी संख्या 9.1

जिला स्तरीय प्रबंधन

क.सं.	पदनाम	संख्या	वेतनमान	प्रतिनियुक्ति /संविदा
1	जिला परियोजना समन्वयक	1	9000–14400	प्रतिनियुक्ति
2	सहायक परियेाजना समन्वयक	4	8000–13500	प्रतिनियुक्ति
3	सहायक अभियन्ता	1	8000–13500	प्रतिनियुक्ति
4	सहायक लेखाधिकारी	1	6500–10500	प्रतिनियुक्ति
5	कार्यक्रम सहायक	4	6500–10500	प्रतिनियुक्ति
6	लेखाकार	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति
7	केशियर कम स्टोर कीपर	1	4000–6000	प्रतिनियुक्ति
8	कनिष्ठ अभियन्ता	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति
9	एम.आई.एस.प्रभारी	1	7000/प्रति माह	संविदा
10	प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	5	5000/–प्रति माह	संविदा
11	स्टनों टाईपिस्ट	4	4000/–प्रति माह	संविदा
12	सहायक कर्मचारी	6	2500/–प्रति माह	संविदा

9.3 कार्यकारी परिषद् :–

सर्व शिक्षा अभियान के नागौर जिले में कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया है । यह परिषद् शासकीय परिषद् द्वारा विर्निदिष्ट प्राथमिकताओं एवं सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित कार्य योजना अनुसार कार्य संचालन हेतु जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित करेगी। तथा जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किए गए कार्यो की सर्वागीण समीक्षा करेगी। इस परिषद् की बैठक

प्रत्येक त्रिमाही में एक बार होगी , जिला परियोजना समन्वयक इस परिषद् का सदस्य सचिव होगा तथा अन्य जिला स्तरीय गण , जिनका विवरण निम्नानुसार है , इस परिषद् के सदस्य होगे :–

1. जिला कलेक्टर नागौर	–	अध्यक्ष
2. जिला परियोजना समन्वयक , डीपीईपी. नागौर	–	सदस्य सचिव
3. अति. जिला कलेक्टर (विकास) नागौर	–	सदस्य
4. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् नागौर	–	सदस्य
5. उपखण्ड अधिकारी(समस्त)	–	सदस्य
6. विकास अधिकारी (समस्त)	–	सदस्य
7. उप निदेशक महिला एंव बाल विकास नागौर	–	सदस्य
8. अधीक्षण अभियन्ता , समिति नागौर	–	सदस्य
9. अधीक्षण अभियन्ता , ज.स्वा.अभियन्ता विकास नगौर	–	सदस्य
10. प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर	–	सदस्य
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी नागौर	–	सदस्य
12. प्राचार्य , डाईट ,कुचामन सिटी	–	सदस्य
13. सचिव , जिला साक्षरता समिति नागौर	–	सदस्य
14. दो प्रगतिशील एवं समाज सेवी महिलाएं	–	सदस्य
15. शिक्षक संगठनों के दो मनोनीत पदाधिकारी	–	सदस्य
16. डीपीईपी. के जिला स्तरीय अधिकारी नागौर	–	सदस्य
17. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (समस्त) , डीपीईपी.	–	सदस्य

9.4 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) से बेहतर समन्वयन :–

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं उन्नयन हेतु कार्यरत है । जिसके अधीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ,अवर जिला शिक्षाधिकारी तथा संस्थापन व लेखा संबंधी कार्मिक कार्यरत है। ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी के अधीन अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) तथा अवर विद्यालय निरीक्षक

कार्यरत है जिन पर ब्लॉक की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं परिवीक्षण का दायित्व है । जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों से समन्वयन का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक का है । जिले में सर्व शिक्षा अभियान की बेहतर कियान्विती हेतु जिला प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी जो कि शिक्षा विभाग का प्रशासनिक मुखिया होता है, के कार्यालय में भी एक कम्पयूटर मय आपरेटर ,फैक्स मशीन , एक फोटोकापियर स्थापित किये जायेंगे तथा इनके निवास स्थान पर टेलीफोन लगाये जाने का प्रावधान भी रखा गया है। जिला परियोजना समन्वयक इस परियोजना हेतु जिले का प्रभारी होगा , वह जिला प्रांरम्भिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहते हुये कार्य निष्पादन करेगा । इस प्रकार विभागीय अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाकर एवं परिवीक्षण हेतु उन्हें आवश्यक संसाधन उपलबध करवायें जाऐगे । इससे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का शालाओं में बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।

9.5 शासकीय परिषद् :–

सर्व शिक्षा अभियान के नागौर जिले में कियान्विति की प्राथमिकताएं तय करने , इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यो की सर्वागीण समीक्षा करने हेतु जिला प्रमुख नागौर की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद् का गठन किया गया है । इस परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी । जिला परियोजना समन्वयक , डीपीईपी. , नागौर इस परिषद् के सदस्य सचिव होंगे । परिषद् के अन्य सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1.	जिला प्रमुख , जिला परिषद् नागौर	–	अध्यक्ष
2.	सांसद, नागौर	–	सदस्य
3.	समस्त विधायक गण, जिला नागौर	–	सदस्य
4.	जिला कलेक्टर,, नागौर	–	सदस्य
5.	अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास) नागौर	–	सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् नागौर	–	सदस्य

7. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला नागौर – सदस्य

8. जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी , नागौर । – सदस्य

9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , कुचामन सिटी। – सदस्य

10. उप निदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग , नागौर । – सदस्य

11. अधिक्षण अभियन्ता , सा.नि.वि. , नागौर । – सदस्य

12. अधिक्षण अभियन्ता , ज.स्वा.अभि.वि. नागौर । – सदस्य

13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी नागौर । – सदस्य

14. जिला समाज कल्याण अधिकारी नागौर । – सदस्य

15. सचिव , जिला साक्षरता समिति नागौर । – सदस्य

16. शिक्षक संगठनों के सदस्य (2 सदस्य) । – सदस्य

17. समाज सेवी एवं प्रगतिशील महिलाएं । (2 सदस्य) – सदस्य

18. दो सेवा निवृत शिक्षक । – सदस्य

19. जिला परियोजना समन्यवक, डी.पी.ई.पी. नागौर। – सदस्य सचिव

9.6 जिला संदर्भ समूह :–

नागौर जिले में सर्व शिक्षा अभियान की सफल क्रियान्विति हेतु जिला संदर्भ समूह का गठन योजना में किया गया है । इस समूह में विभिन्न क्षैत्रों के यथा–निर्माण कार्य , औपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा , लिंग–संवेदनशीलता एवं सामुदायिक गतिशीलता के विशेषज्ञ होंगे । जिला संदर्भ समूह को उपरोक्तानुसार 4 संदर्भ समूहो में विभाजित किया गया है । प्रत्येक समूह में संबधित क्षैत्र का विशेषज्ञ , समाज के प्रगतिशील एवं समाजसेवी पुरूष या महिलाएं तथा शिक्षक

समुदाय से संबन्धित प्रतिनिधी सदस्य होंगे । प्रत्येक संदर्भ समूह की मासिक बैठक निश्चित होगी । इस बैठक में परियोजना के तहत किए गए कार्यो की प्रगति की समीक्षा एवं भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाऐगी ।

9.7 खण्ड संदर्भ केन्द्र :–

जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर इस परियोजना कं अन्तर्गत खंड संदर्भ केन्द्र स्थापित किए जायेंगे । इस केन्द्र का प्रभारी खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी होगा जो कि राज्य शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा , वह खण्ड प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी के अधीन रहते हुए इस परियोजना की ब्लॉक स्तर पर सफल कियान्विती सुनिश्चित करेगा। इस परियोजना के अंतर्गत खण्ड प्रारंम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का सुदृढ़ीकरण हेतु एक कम्पयूटर मय आपरेटर , टेलीफोन एवं उनके क्षैत्रीय परिभ्रमण हेतु रु 1000/– प्रतिमाह या 1 रुपया प्रति कि.मी की दर से मोटर साईकल भत्ता दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है । खण्ड संदभर्र कार्यालय में भी सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु एक कम्पयूटर मय आपरेटर एवं टेलीफोन स्थापित किया जायेगा। चूंकि सामुदायिक गतिशीलता भी खण्ड संदर्भ केन्द्र का प्रमुख कार्य है इस लिए इस हेतु हर ब्लॉक संदर्भ केन्द्र पर एक रंगीन टीवी , वीसीआर तथा डीवीडी प्रदान कि जायेगी । खण्ड स्तरीय कार्यालय में निम्नानुसार विभिन्न वर्गो के अधिकारी लगाए जाने का प्रावधान है :–

सारणी 9.2

ब्लॉक स्तरीय प्रबंधन

क.सं	नाम मद	संख्या	वेतनमान	प्रतिनियुक्ति / संविदा
1	खंड संदर्भ केन्द्र सहयोगी	1	8000–13500	प्रतिनियुक्ति से
2	संदर्भ व्यक्ति	4	6500–10500	प्रतिनियुक्ति से
3	कनिष्ठ अभियंता	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति से
4	कार्यालय सहायक	2	4000–6000	प्रतिनियुक्ति से
5	सहायक कर्मचारी	1	2500	संविदा पर

6	टाईपिस्ट	1	3500	संविदा पर
7	डाटा एन्टरी ऑपरेटर	2	4000	संविदा पर
8	कनिष्ठ लिपिक	1	4000	संविदा पर
9	कनिष्ठ लेखाकार	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति से

खंड संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस परियोजना के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन का उत्तरदायी होगा । ब्लॉक में कार्यरत समस्त संकुल संदर्भ सहयोगियों पर पूर्ण नियंत्रण एवं परिवीक्षण रखेगा । इस हेतु वह सभी संकुल संदर्भ सहयोगियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा तथा उनसे प्राप्त प्रगति को संकलित कर जिला कार्यालय को अवगत कराएगा । तथा ब्लॉक स्तर एवं संकुल स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण , परिवीक्षण एवं उनकी पर्याप्त मॉनिटरिंग रखेगा । ब्लॉक संदर्भ सहयोगी ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से तथा ब्लॉक शिक्षा (प्रारम्भिक) अधिकारी से पूर्ण समन्वय रखेगा । ब्लॉक संदर्भ सहयोगी ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होने के नाते इस समिति के सभी क्रिया कलाप उसके द्वारा ही निर्धारित किए जाऐंगे । तथा समय–समय पर जिला स्तर से आयोजित बैठकों में ब्लॉक स्तर का प्रतिनिदित्व करेगा ।

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अभिनवन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा उनकी सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा ।

9.8 ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति :–

सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु जिला स्तरीय शासकीय परिषद् द्वारा विभिन्न स्तरों पर समितियॉ गठन करने का प्रावधान किया गया है । इसी क्रम में ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति भी ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा की क्रियान्विति हेतु गठित की गई है । यह समिति प्रत्येक त्रैमासिकी में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करेगी । संबंधित ब्लॉक का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होगा तथा ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस समिति का सदस्य सचिव होगा। इस समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है ।

1. प्रधान पंचायत समिति	–	अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी	–	सदस्य
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	–	सदस्य
4. शिक्षा प्रसार अधिकारी	–	सदस्य
5. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी	–	सदस्य
6. प्राचार्य,रा.सी.उ.मा.वि. (ब्लॉक मुख्यालय)	–	सदस्य
7. चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय)	–	सदस्य
8. दो उत्साही एवं प्रगतिशील सरपंच	–	सदस्य
9. शिक्षक संघ के पदाधिकारी (दो)	–	सदस्य
10. समाज सेवी महिलाएं (दो)	–	सदस्य
11. सेवा निवृत अध्यापक (दो)	–	सदस्य
12. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी ,डीपीईपी.	–	सदस्य सचिव

9.9 संकुल संदर्भ केन्द्र :–

सर्व शिक्षा अभियान की कियान्विति में सकुल संदर्भ केन्द्रो की महत्ती भूमिका है । प्रत्येक ब्लॉक की 2 पंचायतों को मिलाकर एक संकुल की परिकल्पना की गई है । जिसका मुख्यावास 8 किलोमीटर की परिधि में पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को बनाया गया है । संकुल केन्द्र पर एक कार्यालय तथा एक प्रशिक्षण हॉल का निर्माण कराया गया है । संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन आवश्यक रूप से उपस्थिति होगा । संकुल के अधीन आनेवाले सभी प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव गॉधी पाठशालाओं एवं शिक्षाकर्मी पाठशालाओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संकुल संदर्भ केन्द्र पर रहेगा । संकुल केन्द्र में प्रत्येक माह में 2 दिवसीय अध्यापक बैठक आयोजित की

12. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी ,डीपीईपी. — सदस्य सचिव

9.9 संकुल संदर्भ केन्द्र :–

सर्व शिक्षा अभियान की कियान्विति में सकुल संदर्भ केन्द्रो की महत्ती भूमिका है । प्रत्येक ब्लॉक की 2 पंचायतों को मिलाकर एक संकुल की परिकल्पना की गई है । जिसका मुख्यावास 8 किलोमीटर की परिधि में पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को बनाया गया है । संकुल केन्द्र पर एक कार्यालय तथा एक प्रशिक्षण हॉल का निर्माण कराया गया है । संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन आवश्यक रूप से उपस्थिति होगा । संकुल के अधीन आनेवाले सभी प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव गॉधी पाठशालाओं एवं शिक्षाकर्मी पाठशालाओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संकुल संदर्भ केन्द्र पर रहेगा । संकुल केन्द्र में प्रत्येक माह में 2 दिवसीय अध्यापक बैठक आयोजित की जाऐगी । उस बैठक में शालाओं से संबधित सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की जाकर भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाऐगी । इन्ही सभागारों में वर्ष में एक बार महिला समूह की बैठक भी आयोजित की जायेगी , जिसमें महिला जागरूकता तथा बालिका शिक्षा के विकास पर जोर दिया जावेगा । अनामांकित बालिकाओं को शाला से जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना तथा प्रभावी पर्यवेक्षण कर उनका ठहराव सुनिश्चित करना ही संकुल संदर्भ केन्द्र की स्थापना के प्रमुख लक्ष्य है । डीपीईपी. कार्यक्रम लागू होने के पश्चात जिले में कुल 125 संकुल संदर्भ केन्द्रों की संख्या थी । इसी को बाद में पुर्नरीक्षण कर इन केन्द्रों की संख्या 140 की गई है । इन 125 संकुल संदर्भ केन्द्रो में भवन का निर्माण भी करवा दिया है। शेष में भवन निर्माण एवं आवश्यक स्टॉफ की नियुक्ति का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है ।

9.10 संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी के कार्य :–

संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी के कार्य निम्न प्रकार होगे :–

- सभी विद्यालयों (संकुल परिक्षेत्र में आने वाले) का प्रभावी ,सम्बलन करेगा तथा रिर्पोट ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी तथा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति माह प्रेषित करेगा ।

- संकुल के अधीन आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों की मासिक बैठक आयोजित करना ।
- जन सहभागिता विकसित करने हेतु सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- महिला बैठकों का आयोजन करना ।
- सभी विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन कमेटी का नियमानुसर गठन करवाना तथा उनके सदस्यों का प्रशिक्षण करवाना एवं उनकी समय–समय पर बैठके आयोजित करवाना ।
- ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उन्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना ।
- शिक्षकों को सहायक शिक्षण सामग्री की राशी का समुचित उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण देना तथा उसका पूर्ण परिवीक्षण करना ।
- संकुल के अधीन आने वाले सभी विद्यालयों में नामांकन , ठहराव तथा गुणवता पूर्ण आनन्ददायी शिक्षण विधियों की कियान्विति सुनिश्चित करना तथा इसके लिए शिक्षकों को मानसिक रूप से तैयार करना ।
- संकुल स्तर पर चल रहें सभी निर्माण कार्यो की मॉनिटरिंग रखना ।

9.11 शाला प्रबंधन समिति (एस.एम.सी.) :–

शाला प्रबंधन कमेटी का गठन भी सर्व शिक्षा अभियान को जन सहभागिता से जोड़ने के काफी मदद् गार है । इस कमेटी की परिकल्पना शाला के भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण के निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। कमेटी का गठन ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा द्वारा किया जाता है । जिसके सदस्य निम्न प्रकार होते है :–

1. सरपंच / संबधित वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच – अध्यक्ष

   (अगर विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न हो तो)

2. दो सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी – सदस्य

3. संबंधित संकुल केन्द्र सहयोगी	–	सदस्य
4. ग्राम सेवक	–	सदस्य
5. पटवारी	–	सदस्य
6. ए.एन.एम./ महिला शिक्षक	–	सदस्य
7. दो महिला अभिभावक	–	सदस्य
8. दो पुरूष अभिभावक	–	सदस्य
9. एक–एक प्रतिनिधि (समाज के कमजोर वर्ग से)	–	सदस्य
10. शाला के दो अध्यापक	–	सदस्य
11. शाला प्रधान	–	सदस्य सचिव

इस समिति की प्रत्येक माह में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी । जिसमें विद्यालय में नामांकन की ताजा स्थिति पर विचार विमर्श तथा वंचित बालक/ बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के उपायों पर विस्तृत चर्चा , शाला की भौतिक स्थिति पर विचार विमर्श तथा शिक्षकों के क्रिया कलापों की समीक्षा की जाऐगीं । प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

कमेटी शाला के विकास में जनसहयोग एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राप्त समस्त प्रकार की राशियों का सही उपयोग सुनिश्चित करेगी ।

9.12 भवन निर्माण समिति :–

विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के पास कार्यभार अधिक होने के कारण विद्यालय में संपादित किए जाने वाले निर्माण कर्यों का कियान्वयन , परिवीक्षण , गुणवता नियंत्रण , सामग्री आपूर्ति व्यवस्था , सामाजिक अंकेक्षण तथा लेखा संधारण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवन निर्माण समिति के गठन का प्रावधान रखा गया है ।

प्रत्यक्षतः यह समिति विद्यालय प्रबन्ध समिति की ही एक उप–समिति होगी । इस समिति के दो सदस्य अध्यक्ष एवं सचिव विद्यालय प्रबंध समिति के ही अध्यक्ष एवं सचिव होंगे । इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :–

1. शाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष – अध्यक्ष
2. शाला प्रबंध समिति का सचिव – सदस्य सचिव
3. एक कुशल कारीगर – सदस्य
4. शाला का एक अध्यापक – सदस्य
5. दो अभिभावक (एक महिला,एक पुरूष) – सदस्य
6. संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी – सदस्य

यह समिति विद्यालय में समस्त प्रकार के निर्माण कार्यो के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी तथा ब्लॉक स्तरीय कनिष्ठ अभियंता के निर्देशन में कार्य करेगी ।

9.13 कोष–प्रवाह :–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 75% राशी केन्द्र सरकार एवं 25% राशी राज्य सरकार द्वारा नियोजन संबन्धित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राज्य क्रियान्वयन समिति के खातें में आवंटित कराई जाएगी । इसके बाद तद्नुरूप वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् राज्य स्तरीय परियोजना कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय परियोजना कार्यालय के बैंक–खातें में राशि – स्थानांतरित कर दी जाएगी । जिला स्तर पर इस परियोजना का बैंक में खाता खोला जाएगा जो कि जिला कलेक्टर , जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक लेखा अधिकारी में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से संचालित होगा । जिला स्तरीय कार्यालय द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य–योजना के अनुरूप ब्लॉक स्तरीय कार्यालय के खातें में प्रथम किश्त की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी । ब्लॉक–स्तरीय कार्यालय के माध्यम से ही अनुमोदित एवं स्वीकृत मदों के अनुसार ही संकुल संदर्भ कार्यालय एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति को 15 दिवस के भीतर उक्त राशि का स्थानांतरण किया जाएगा । परियोजना की लेखा संबंधी आवधारणा के अनुसार ही प्रथम किश्त के उपयोग संबंधी उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर ही द्वितीय किश्त का स्थानांतरण विभिन्न स्तारों से उक्तानुसार किए जाने का प्रावधान रखा गया है ।

इस प्रकार प्राप्त राशि के सही उपयोग को विभिन्न स्तरों पर कुशल मॉनिटरिंग , परिवीक्षण एवं लेखा नियंत्रण से सुनिश्चित किया जाएगा ।

रू. निर्धारित है । इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान में इस गतिविधि के लिए 76.00/– लाख व्यय किए जाने का प्रावधान है ।

10.5 जल सुविधा :–

अब तक के हुए सर्वेक्षण के आधार पर यह तथ्य सामने आया है कि कुल 1665 विद्यालयों में पानी की सुविधा का अभाव है । जिसमें से अभी तक डीपीईपी. नागौर द्वारा 40 विद्यालयों में पानी की टंकियों का निर्माण मय पानी के जल कनेक्शन सहित कराया जा चुका है । तथा पानी में फ्लोराईड के बहुतायत वाले क्षेत्रों में ग्याहरवें वित्त आयोग के सहयोग से 100 पानी के टांको का भी निर्माण कराया जा चुका है । तथा 650 विद्यालयों में जल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए टांके /पी.एच.ई.डी. कनेक्शन /पानी की टंकी के निर्माण का सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान रखा गया है । शेष 100 विद्यालयों में पानी की सुविधा के लिए राहत कार्यो एवं राजीव गॉधी जल योजना के सहयोग से कार्य कराया जा सकेगा ।

10.6 रेम्प निर्माण :–

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारिरिक रूप से विकलांग एवं निःशक्त बालकों को सीढ़िया चढने तथा सुगमता पूर्वक कक्षा–कक्ष तक पहुचनें में होने वाली कठिनाइयों को मद्देनजर रखते हुऐ ऐसे 400 विद्यालयों में रेम्प बनाने का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है । इस कार्य पर 80.00/– लाख रूपयें खर्च होने का अनुमान है ।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित सिविल वर्क का सारांश सारणी सं. 10.2 में निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

सारणी 10.2

सर्व शिक्षा अभियान में प्रस्तावित सिविल कार्य

क.सं.	विवरण	संख्या	अनुमानित राशी (लाखों में)
1	शाला भवन (तीन कमरे)	283	1018.80

	शाला भवन (दो कमरे)	280	716.80
2	अतिरिक्त कक्षा–कक्ष	760	912.00
3	शौचालय	760	76.00
4	पेयजल टंकी मय जल कनेक्शन	300	60.00
5	पेयजल टांके	350	175.00
6	रेम्प निर्माण	400	80.00
7	चार दीवारी निर्माण		200.00
8	माईनर रिपेयर	218	27.25
	मेजर रिपेयर	327	82.00
9	बच्चों के लिए मनोरजक निर्माण	750	187.50
10	प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण	268	134.00
कुल कार्य		4696	3669.35

10.7 कार्यो का क्रियान्वयन एवं परिवीक्षण

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले की अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार जिला शासकीय समिति द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुरूप जिला कलेक्टर द्वारा निर्माण कार्यो की स्वीकृतियां जारी की जावेगी । निर्माण कार्यो की स्वीकृति के पश्चात् उनके क्रियान्वयन का दायित्व संबंधित शाला प्रबन्ध समिति का होगा । निर्माण कार्यो में तकनीकी मार्गदर्शन हेतु जिला स्तर पर एक सहयक अभियन्ता एवं ब्लॉक स्तर पर एक कनिष्ठ अभियन्ता होंगे । निर्माण कार्यो हेतु समस्त प्रकार के भुगतान इन तकनीकी अधिकारियों की अभिशंषा से ही जारी किए जाऐंगे । निर्माण कार्यो का समस्त प्रकार का लेखा संधारण का दायित्व संबंधित शाला प्रबंध समिति का होगा ।

अध्याय 10

निर्माण कार्य

10.1 भूमिका :–

सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य सन् 2003 तक सभी को प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने का है । तथा इस अभियान की सफल कियान्विति में अन्य अकादमिक सुधारों के साथ–साथ सिविल वर्क का नियोजन भी अत्यंत महतवपूर्ण है । मसलन अधिक उम्र (6–14 वर्ष तक) की छात्राओं के नामांकित नहीं होने का मुख्य कारण उनके लिए पृथक से शौचालय /मूत्रालयों का नहीं होना है । इसके अलावा शालाओं का नहीं होना , पेयजल सुविधा का अपर्याप्त या बिल्कुल नहीं होना और जर्जर शाला भवन एवं अपर्याप्त कमरे तथा भवन विहीन विद्यालय ही कमजोर नामांकन के मुख्य कारण सर्वेक्षण के दौरान सामने आए है । शाला भवनों में चारदीवारी नहीं होने से पर्यावरण सुधार कार्यक्रम पर तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है , साथ ही साथ आवारा पशुओं द्वारा शाला समय पश्चात् भवनों को मल–मूत्र से गंदा कर दिए जाने से वातावरण भी दूषित होता है । सर्वशिक्षा अभियान में इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाए जाने का समुचित प्रावधान रखा गया है । अभियान की निर्देशिका अनुसार सिविल वर्क पर परियोजना की कुल लागत की 33 प्रतिशत तक राशी व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसी अनुरूप डीपीईपी. जिला नागोर के संकुल संदर्भ केन्द्रों द्वारा करवाए गए विद्यालय वार सर्वेक्षण से जिले में उनकी भौतिक स्थिति निम्न प्रकार दृष्टिगत होती है :–

10.2 विद्यालय भवन :–

जिले में कराए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि जिले में अभी भी कुल 563 प्राथमिक /उच्च प्राथमिक /राजीव गॉधी स्वर्ण जयंति पाठशालाएं भवन रहित है तथा इनके अलावा सर्वशिक्षा अभियान में प्रस्तावित वैकल्पिक विद्यालयों को औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में भी क्रमोन्नत किए जाने का प्रावधान होने से यह संख्या 592 तक हो जाती है । चूंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी विद्यालयों में तो भवन निर्माण संभव नहीं है , फिर भी 280 औपचारिक रूप से क्रमोन्नत किए गए प्राथमिक विद्यालयों में 2 कमरे मय

प्र.अ. कक्ष के निर्माण का एवं 283 भवनरहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3 कमरे मय प्र.अ. कक्ष के निर्माण का सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत कराए जाने का प्रावधान है । एवं नागौर जिला चूंकि अकाल प्रभावित क्षैत्र है और यहॉ राहत कार्य भी चलाएं जाऐंगे । शेष विद्यालय भवन निर्माण ग्यारहवे वित्त आयोग से प्राप्त राशि एवं अन्य विकास योजनाओं से समन्वयन स्थापित किया जाकर भवन विहीन विद्यालयों में भवन निर्माण करवा दिया जाएगा ।

10.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष :–

जिले में करवाए गये सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि जिले के नामांकन के अनुपात में कक्षा–कक्षों की संख्या अपर्याप्त है । सारणी संख्या 10.1 में जिले के वर्ष 2001–02 से वर्ष 2009–10 तक के नामांकन की स्थिति के अनुसार कक्षा–कक्षों की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है । सर्व शिक्षा अभियान में चूकिः सिविल कार्य हेतु राशि का प्रावधान मर्यादित है , इस कारण वांछनीय संख्या में कक्षा–कक्षों का निर्माण संभव नही है। अतः 760 कक्षा–कक्षों का निर्माण इस परियोजना के अन्तर्गत करवाए जाने का प्रावधान है। शेष कक्षा–कक्षों का निर्माण जिले में संचालित अन्य विकास योजनाओं के अन्तर्गत करवाए जाने का प्रयास किया जाऐगा । प्रत्येक कक्षा कक्ष के निर्माण हेतु इकाई लागत रु 1.20 लाख निर्धारित है । अतः इस मद पर रु 912 लाख व्यय किए जाने का प्रावधान है ।

10.4 शौचालय :–

जिले में कराए गए सर्वेक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि जिले में ऐसे विद्यालय की संख्या काफी अधिक है , जहां शौचालय निर्माण करवाया जाना हे । अभी तक की प्राप्त सूचना से मिलने में कुल 1179 शौचालय रहित विद्यालय पाए गए है । जिनमें से अभी तक 553 विद्यालायों में डीपीईपी. नागौर तथा 168 विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि से शौचालय निर्माण करवाया गया है । शेष रहे 976 विद्यालयों में अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । सर्व शिक्षा अभियान में इन शौचालय रहित विद्यालयों में 760 शौचालय निर्माण का प्रावधान रखा गया है । इस संख्या में 350 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिलाओं /छात्राओं के लिए अलग से शौचालय / मुत्रालय बनाने का प्रावधान शामिल है । प्रत्येक शौचालय निर्माण की लागत 10,000/–

अध्याय 11

योजना लागत

सर्व शिक्षा अभियान में प्रारंभिक शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणात्मक शिक्षा हेतु प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना एवं नामांकन आधार पर अतिरिक्त पैराटीचर की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। विद्यालयों के रख रखाव हेतु भाला विकास फण्ड़ के रूप में प्रति वर्श राशि आवंटित किया जाना 3 से 6 वर्ष तक के बालकों हेतु पुर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र भी खुलवाना प्रस्तावित है।

कम्प्युटर शिक्षा के क्षैत्र में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसे लागु किया जाना प्रस्तावित है।

जैण्डर संवेदनशीलता हेतु प्रति वर्ष जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति एवं कामगार बच्चों के शिक्षण हेतु विषेश शिक्षण सुविधाएँ प्रदान कि जाकर मुख्य लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।

भौतिक क्षैत्र में प्राथमिक विद्यालयों में 81 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जा चुका है एवं 760 अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करवाया जाना प्रस्तावित है। 280 प्राथमिक विद्यालय भवन एवं 283 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण करवाया जाना है। साथ ही 760 शौचालय, 650 पी.एच.ई.ड़ी. कनेक्सन/टांके एवं 400 रेम्प भी बनाया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय–12

परियोजना कियान्विति

12.1 भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान एक सघन कार्यक्रम ही नहीं शिक्षा के सार्वजनीकरण, सबकी शिक्षा तक आसान पहुँच एवं गुणात्मक शिक्षा के क्षैत्र में एक दीर्घकालीन तथा बहुआयामी परियोजना है । ऐसी अन्य परियोजना की तरह ही इस अभियान के अन्तर्गत संचालित की जाने वाली समस्त गतिविधियों का समयबद्व एवं चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार कियान्वयन ही इस कार्यक्रम की सफलता होगी । इसी उद्वेश्य को मध्यनजर रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान की कियान्विति का वर्षवार निश्चित कार्यक्रम तय किया जा रहा है।

12.2 वर्षवार संपादित की जाने वाली गतिविधियां

सारणी संख्या 12.1 कं अनुसार वर्ष 2002–03 से 2009–10 तक पहुँच, ठहराव, गुणवता, एवं विभिन्न संस्थाओं को सुदृढीकरण के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के कियान्यवन को दर्शाया गया है । जिला शासकीय समिति, जिला कार्यकारी समिति, ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समितियों एवं विद्यालय प्रबन्ध समितियों के सकिय सहयोग तथा जिला , ब्लॉक एवं सुकुँल विद्यालय स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों के समर्पणयुक्त प्रयासों से परियोजना का कार्य चरणबद्व कार्यक्रम के अनुसार समय पर संपादित किया तायेगा ।

12.3 वर्ष 2003–2004 में किये जाने वाले कार्यक्रम

12.3.1 परियोजना के प्रारम्भिक वर्ष 2003–04 में पहुँच को आसान बनाने , समुदायिक गतिशीलता एवं संस्थाओं को सुदृढीकरण के कार्य किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । साथ ही सहयोगी गतिविधिके लिये अनुमादित योजना के अनुसार विद्यालयों में निर्माण कार्य करवायें जायेंगे । चूंकि नागौर जिले में पहले से ही डीपीईपी कार्यक्रम जारी है एवं इस कार्य के कियान्यवन हेतु विभिन्न वर्गो के पदाधिकारी भी कार्यरत है उन्ही पदाधिकारीयों के रिक्त पदों हेतु अनुमोदित प्रकिया के अन्तर्गत स्टॉप का नियोजन किये जाने का प्रवाधान है ।

12.3.2 पहुँचः— सन 2010 तक जिले के सभी बालकों को आठवीं कक्षा उतीर्ण कराने का लक्ष्य सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य भाग है । इस लक्ष्य की पूर्ती उस स्थिति में ही संभव है जब सभी की पहुँच में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थित हों । इस हेतु प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों के बीच एक उच्च प्राथमिक विद्यालय का मान दण्ड निर्धारित रखते हुए वर्ष 2003–04 में कुल 26 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत किए जाने का प्रावधान है ।

- जिले की अल्पसंख्यकों की बालिकाओं हेतु 176 गैर आवासीय ब्रिज कोर्स जिनमें सामान्य पाठकम के साथ साथ इस समुदाय से जुड़े पुश्तैनी व्यासाय के अनुसार व्याससयिक पाठयकम भी संचालित ाकया जाने का प्रावधान है । इन कोर्स – शिविरों हेतु वर्ष 2003–04 में रू. 40000/ प्रति शिविर की दर से कुल 8.00 लाख रू व्यय होने का अनुमान है ।

- जिले के अनुसुचित जाति / अनुसूचित जन जाति घुमन्तु एवं कामकाजी बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम उनके रहने , खाने पीने एवं पहनने का प्रबन्ध हो । सर्व शिक्षा अभियान में इसी अवधारणा के अनुसार ऐसे छात्रों हेतु जिले में कुल 44 आवसीय ब्रिज–कोर्स शिविर वर्ष 2003–04 में संचालित किये जाने का प्रावधान है साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें , एवं टीएलएम किट भी प्रदान किये जायेगें । ऐसे प्रत्येक शिविर पर रु 1.50 लाख की दर से वर्ष 2003–04 में इन आवासीय ब्रिज–कोर्स शिविर वर्ष 2003–04 में संचालित किए जाने का प्रावधान है साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्यपुस्तके , एवं टीएलएम किट भी प्रदान किए जायेगें । ऐसे प्रत्येक शिविर पर रु 150 की दर से वर्ष 2003–04 में इन आवासीय ब्रिज–कोर्स के प्रबधन एवं संचालन पर कुल रुपये 7.50 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

- जिले के कुल 4507 विकलांग छात्र/छात्राओं की शिक्षा–जगत से पंहुच को आसान बनाने के लिए उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाकर चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदान किये जायेंगें । एवं कक्षा कक्ष तक उनकी सुगम पहुंच के लिए रैम्प का निर्माण किया जायेगा ।

12.3.3 गुणवता :— छात्रों का विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण कि गुणवता पर विषेश ध्यान देनें की आवश्यकता है । इसी अवधारणा के आधार पर निम्न कार्य वर्ष 2003–04 में किए जाना प्रस्तावित है ।

- जिले की 560 उच्च प्राथमिक विद्यालय को छात्र हितार्थ आकस्मिक/अनावर्तक व्यय हेतु प्रतिविद्यालय रु 5000/– एस.एफ.जी के रूप में दिये जायेगें । इस प्रकार कुल 28.00 लाख इस मद पर वर्ष 2003–04 में व्यय किये जायेगें ।

- इन उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 4963 शिक्षकों को रु 500/– शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण हेतु प्रदान किये जायेगें । इस प्रकार इस गतिविधि पर रु 24.815 लाख व्यय किए जाने प्रस्तावित है।

- जिले के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कुल 4963 शिक्षकों (विषयवार) अर्थात छः विषयों हेतु 8 दिवसीय प्ररेण–प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

- इसके साथ जिले के 1285 पैराटीचर्स को 41 दिवसीय आधार भुत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । इस मद पर रु 36.88 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

- इनके अतिरिक्त जिले में ब्लॉक स्तर पर कार्यरत 33 संदर्भ व्यक्तियों को तथा जिले की 320 भवन निर्माण समितियों के 1280 सदस्यों को अभिनवन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिस पर कमशः 0.20 लाख रुपये एवं 0.38 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

12.3.4 सामुदायिक गतिशीलता :–

- सामुदायिक गतिशीलता हेतु जिले की 579 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रत्येक को रु 5000/– की दर से कुल 28.95 लाख दिये जायेगें । इस राशि का व्यय विद्यालय स्तर पर बाल मेला , कला जत्था , महिला मीटिंग , बालिका मंच का गठन , एम टी ए/ पी टी ए के गठन हेतु किया जायेगा ।

- इसी कम शाला प्रबंध समितियों के 4480 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस मद पर 2.69 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

12.3.5 संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण :–

जिले में प्रस्तावित कमोन्नत किये जाने वाले 26 विद्यालयों को एक मुश्त 50000/– की दर से शिक्षण अधिगम उपकरण हेतु प्रदान की जाएगी । इस मद पर कुल रुपये 13 लाख वर्ष 2003–04 में व्यय होने का अनुमान है ।

12.3.6 सिविल कार्य :– सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले में वर्ष 2003–04 के लिए सिविल कार्य पर रुपये 607.4 लाख खर्च किये जायेगें ।

12.3.7 प्रबन्धन सूचना तंत्रः– परियोजना में प्रस्तावित समस्त प्रकार की गतिविधियों की मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन के लिए प्रबंधन सूचना तंत्र का प्रावधान है । इसके अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में रू 45.00 लाख रू. व्यय किए जाने का अनुमान है । इस राशि का व्यय जिले के सुक्ष्म नियोजन, जिला स्तर पर तथा तथा ब्लॉक स्तर पर सूचना प्रबंधन तंत्र के सुदृढीकरण हेतु किया जायेगा ।

12.4 वर्ष 2003–04 के लिए लागत अनुमान :–

जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 में संपादित की जाने वाली गतिविधियों एवं उन पर होने वाले अनुमानित व्यय का विवरण सारणी सं.12.2 एवं 12.1 में सर्व शिक्षा अभियान का वर्ष 2003–2007 का समग्र कार्यकम प्रस्तुत है ।

TABLE 12.1

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRCT: Nagaur

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	48603	410.695	41673	352.13685	34397	290.65465	26757	226.097	151430	1279.584
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			26		28		39		91		184	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	26	13.000	28	14.000	39	19.500	91	45.500	184	92.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	26	23.400	28	25.200	39	35.100	91	81.900	184	165.600
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	50	60.000	76	91.200	104	124.800	143	171.600	373	447.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	26	16.380	28	17.640	39	24.570	91	57.330	184	115.920
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	100	84.000	202	169.680	284	238.560	390	327.600	976	819.840
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	100	120.000	220	264.000	220	264.000	220	264.000	760	912.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	80	40.000	50	25.000	50	25.000	88	44.000	268	134.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	11400	11.400	1170	1.170	12000	12.000	12300	12.300	36870	36.870
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	40	102.400	60	153.600	80	204.800	100	256.000	280	716.800

	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	50	180.000	70	252.000	56	201.600	107	385.200	283	1018.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	220	22.000	220	22.000	220	22.000	760	76.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000	100	50.000	100	50.000	100	50.000	350	175.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	50	10.000	75	15.000	75	15.000	100	20.000	300	60.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	100	20.000	100	20.000	100	20.000	100	20.000	400	80.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250	50	6.250	50	6.250	68	8.500	218	27.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	75	18.750	75	18.750	75	18.750	103	25.750	328	82.000
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000	200	50.000	250	62.500	200	50.000	750	187.500
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	1202	60.100	1293	64.650	1382	69.100	1615	80.750	5492	274.600
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	579	28.950	605	30.250	633	31.650	672	33.600	2489	124.450
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			117		117		272		117		623	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	117	11.700	117	11.700	272	27.200	117	11.700	623	62.300
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	117	73.710	117	73.710	272	171.360	117	73.710	623	392.490
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	117	98.280	234	196.560	506	425.040	857	719.880
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	117	15.795	117	15.795	272	36.720	117	15.795	623	84.105
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	117	23.868	117	23.868	272	55.488	506	103.224
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	117	26.676	117	26.676	234	53.352
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	117	29.484	117	29.484
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	1202		1293		1382	27.640	1615	32.300	5492	59.940
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	579	11.580	605	12.100	633	12.660	672	13.440	2489	49.780
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	4071		4305		4849	24.245	5083	25.415	18308	49.660
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	4963	24.815	5095	25.475	5227	26.135	5476	27.380	20761	103.805
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	3954		4071		4343		4460		16828	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS	Number	0.014	4963		5095	71.330	5227	73.178	5476	76.664	20761	221.172

		(20 days)												
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	1757	73.794		0.000		0.000	1757	73.794
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	117	2.457	234	4.914	506	10.626	623	13.083	1480	31.080
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	4632	2.779	4840	2.904	5064	3.038	5376	3.226	19912	11.947
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	1507	18.084	1507	18.084	4507	54.084	4507	54.084	12028	144.336
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	1202	16.828	1293	18.102	1382	19.348	1615	22.610	5492	76.888
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	579		605	8.470	633	8.862	672	9.408	2489	26.740
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.200	1	2.400	1	2.400	3	6.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04		0.000	4	4.080	4	8.160	4	8.160	12	20.400
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44		0.000	3	2.160	3	4.320	3	4.320	9	10.800
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	0.900	1	1.800	1	1.800	3	4.500
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	0.840	1	1.680	1	1.680	3	4.200
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000	1	0.600	1	1.200	1	1.200	3	3.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	1	0.300	1	0.600	1	0.600	3	1.500
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48		0.000	4	0.960		0.000		0.000	4	0.960
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000	3	0.459	3	0.918	3	0.918	9	2.295
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.153	1	0.306	1	0.306	3	0.765
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000

	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	11	10.780	11	21.560	11	21.560	33	53.900
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	33	23.760	33	47.520	33	47.520	99	118.800
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	11	7.920	11	15.840	11	15.840	33	39.600
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	11	11.880	11	11.880	11	11.880	11	11.880	44	47.520
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	11	6.600	11	6.600	11	6.600	11	6.600	44	26.400
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	11	5.280	11	5.280	11	5.280	11	5.280	44	21.120
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	11	1.683	11	3.366	11	3.366	33	8.415
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	11	9.350		0.000		0.000		0.000	11	9.350
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	11	1.320	11	1.320	11	1.320	11	1.320	44	5.280
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	11	1.100	11	1.100	11	1.100	11	1.100	44	4.400
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	11	9.240	11	9.240	11	9.240	11	9.240	44	36.960
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	140	84.000	140	168.000	140	84.000	420	336.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	11	1.375	11	1.375	11	1.375	11	1.375	44	5.500
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	11	0.660	11	0.660	11	0.660	11	0.660	44	2.640
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	11	0.550	11	0.550	11	0.550	11	0.550	44	2.200
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	140	3.500	140	3.500	140	3.500	140	3.500	560	14.000
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	140	3.360	140	3.360	140	3.360	140	3.360	560	13.440
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	140	1.400	140	1.400	140	1.400	140	1.400	560	5.600
20		**Interventions for Out of School Children**												

	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350	2500	21.125	2000	16.900	1500	12.675	9000	76.050
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1781	17.810	1898	18.980		0.000		0.000	3679	36.790
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	461	9.220	461	9.220	461	9.220	461	9.220	1844	36.880
		Grand Total				**1666.249**		**2452.218**		**2943.870**		**3475.239**		**10537.576**
		Total of Civil work				607.400		926.600		939.900		1195.450		3669.350
		% of Civil works				36.45		37.79		31.93		34.40		34.82
		Total of Management				35.990		38.892		48.624		48.624		172.130
		% of Management				2.16		1.59		1.65		1.40		1.63

TABLE-12.2

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-04

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin

1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	48603	410.695		0.000	48603	410.695
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	26	13.000		0.000	26	13.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	26	23.400	0	0.000	26	23.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	50	60.000	76	91.200	126	151.200
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	26	16.380	0	0.000	26	16.380
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	100	84.000	202	169.680	302	253.680
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	100	120.000		0.000	100	120.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	80	40.000		0.000	80	40.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	11400	11.400		0.000	11400	11.400
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	40	102.400		0.000	40	102.400
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	50	180.000		0.000	50	180.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000		0.000	100	10.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	50	25.000		0.000	50	25.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	50	10.000		0.000	50	10.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	100	20.000		0.000	100	20.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	50	6.250		0.000	50	6.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	75	18.750		0.000	75	18.750
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000		0.000	100	25.000
7		**Maintinance & Repairs**								

	7.1	Primary School	Number	0.05	1202	60.100		0.000	1202	60.100
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	579	28.950		0.000	579	28.950
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	117	11.700		0.000	117	11.700
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	117	73.710	117	73.710	234	147.420
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000	117	98.280	117	98.280
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	117	15.795	0	0.000	117	15.795
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000	117	23.868	117	23.868
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	1202	0.000	0	0.000	1202	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	579	11.580	0	0.000	579	11.580
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	4071	0.000	351		4422	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	4963	24.815	278	1.390	5241	26.205
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	3954	0.000	234		4188	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	4963	0.000	278	3.892	5241	3.892
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	117	2.457	117	2.457	234	4.914
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	4632	2.779	0	0.000	4632	2.779
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	1507	18.084		0.000	1507	18.084
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	1202	16.828	0	0.000	1202	16.828
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	579	0.000	0	0.000	579	0.000
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000

	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	11	11.880		0.000	11	11.880
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	11	6.600	0	0.000	11	6.600
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	11	5.280	0	0.000	11	5.280
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	11	9.350		0.000	11	9.350
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	11	1.320		0.000	11	1.320
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	11	1.100		0.000	11	1.100
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	11	9.240		0.000	11	9.240
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								

	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	11	1.375		0.000	11	1.375
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	11	0.660		0.000	11	0.660
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	11	0.550		0.000	11	0.550
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	140	3.500		0.000	140	3.500
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	140	3.360		0.000	140	3.360
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	140	1.400		0.000	140	1.400
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	3000	25.350		0.000	3000	25.350
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1781	17.810	0	0.000	1781	17.810
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	461	9.220		0.000	461	9.220
		Grand Total				**1666.249**		**464.477**		**2130.726**
		Total of Civil work				607.400		0.000		607.400
		% of Civil works				36.45		0.00		28.51
		Total of Management				35.990		0.000		35.990
		% of Management				2.16		0.00		1.69

अध्याय 13

क्रय– समितियां

13.1 परिचयः–

सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा की एक दीर्घकालीन परियोजना है । इसमें दी गई राशि का सही ढंग से सदुप्रयोग हो अच्छी सामग्री कम लागत में उपलब्ध हो सके , इस कार्य के लिये क्रय नियमों का उचित प्रावधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है ।

13.2 सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित राशि का एक बड़ा हिस्सा ग्राम स्तर पर ही खर्च किया जाना है , इसलिए ग्राम स्तर पर सामग्री क्रय के लिए क्रय समिति में शाला प्रबंधन समिति , अध्यक्ष एवं सचिव तथा ग्राम के दो वरिष्ठ नागरिक जो इस संदर्भ में अनुभव रखते हो , उनको सदस्यों के रूप में किया जाएगा । इस प्रकार कुल चार सदस्यों की क्रय समिति हर गांव स्तर पर बनाई जाएगी । यह क्रय समिति शाला प्रबंधन समिति व भवन निर्माण समिति की उप समिति ही होगी ।

- संकुल स्तर पर सामग्रीक्रय के लिए संकुल प्रभारी को सदस्य सदस्य सचिव व संबंधित ग्राम पंचायत जिस में संकुल केन्द्र स्थित है सरपंच/पंच को अध्यक्ष के रूप में लेते हुए दो वरिष्ठ व्यक्ति व एक ब्लॉक स्तरीय अधिकारी सदस्य के रूप में लेकर कुल पांच सदस्यों की समिति का गठन किया जाकर इसके माध्यम से ही सामग्री का क्रय किया जाना है ।

- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा समिति के अध्यक्ष प्रधान एवं सचिव खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय अधिकारी की सदस्यता व एक संदर्भ व्यक्ति व ब्लॉक के कनिष्ठ अभियन्ता की समिति कुल पांच सदस्य द्वारा ब्लॉक स्तर पर सामग्री क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

- जिला स्तर पर सामग्री क्रय करने के लिए जिला क्रय समिति में निम्न सदस्य होंगें :–

1. जिला परियोजना समन्वयक ।

2. सहायक अभियन्ता जिला कार्यालय ।

3. सहायक लेखाधिकारी जिला कार्यालय ।

4. सहायक परियोजना समन्वयक, जिला कार्यालय ।

5. भंडार पाल , जिला कार्यालय ।

उक्त समिति समस्त प्रकार की सामग्री आपूर्ति हेतु आंमत्रित निविदाओं का नियमानुसार निस्तारण कर अनुमोदन हेतु जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगी । उक्त सभी समितियॉ सर्व शिक्षा अभियान के कियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर गठित राज्य स्तरीय शासकीय परिषद् द्वारा निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करेगी ।